BCCI BULLETIN

Vol. XXXXVIII | 31st January 2017 | No. 1

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

मद्य निषेध अभियान 2017 के तहत मानव श्रृँखला के मुद्दे पर जिलाधिकारी के साथ बैठक

बैठक को सम्बोधित करते जिलाधिकारी श्री संजय कुमार अग्रवाल। उनकी दाँयीं ओर क्रमशः चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर एवं कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल। बाँयीं ओर उप विकास आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार, विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी श्री पंकज कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर श्री माधव कुमार सिंह तथा श्री तनसुख लाल वैद।

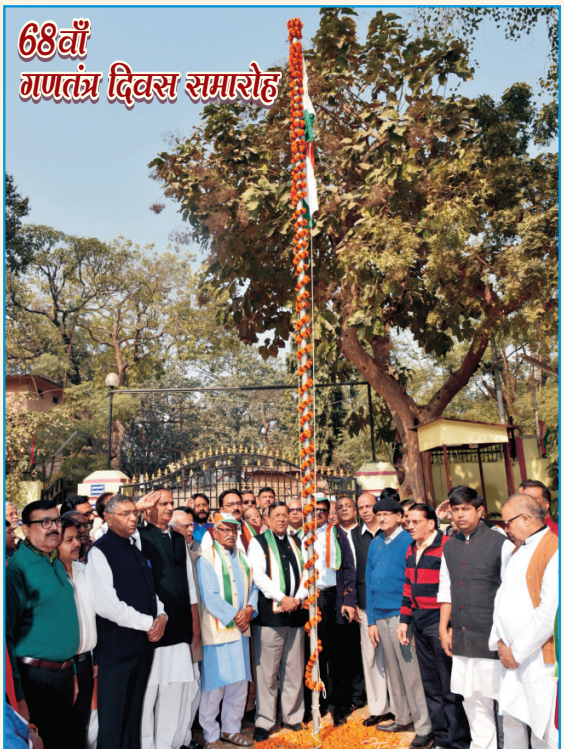

दिनांक 26 जनवरी, 2017 को पूर्वाह्न 11.00 बजे चैम्बर प्रांगण में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर 68वाँ गणतंत्र दिवस समारोह मनाया। इस अवसर पर चैम्बर के सदस्यगण काफी संख्या में उपस्थित थे।

नशा मुक्ति एवं मद्य निषेध के समर्थन में दिनांक 21 जनवरी, 2017 को पटना सहित पूरे राज्य में आयोजित किये जाने वाले मानव श्रृँखला के आयोजन की तैयारी एवं विमर्श हेतु बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के सभागार में दिनांक 17.1.2017 को संध्या 5 बजे जिलाधिकारी पटना के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक की अध्यक्षता चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने की। बैठक में पटना के जिलाधिकारी श्री संजय कुमार अग्रवाल, उप विकास आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर, श्री माधव कुमार सिंह तथा विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी श्री पंकज कुमार के साथ-साथ जिला प्रशासन के अन्य वरीय पदाधिकारी भी सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर, कोषाध्यक्ष, श्री विशाल टेकरीवाल सहित बड़ी संख्या में चैम्बर सदस्यों ने भाग लिया।

सर्वप्रथम चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने जिलाधिकारी श्री संजय कुमार अग्रवाल को बुके प्रदान कर उनका स्वागत किया। श्री एन० के० ठाकुर, उपाध्यक्ष ने उप विकास आयुक्त को बुके देकर उनका स्वागत किया एवं श्री विशाल टेकरीवाल, कोषाध्यक्ष ने अनुमंडल पदाधिकारी तथा विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी को बुके देकर स्वागत किया।

अपने सम्बोधन में चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज नशा मुक्ति के सरकार के इस अभियान का गर्मजोशी से स्वागत करता है तथा अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी हेतु कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि चैम्बर बैनर, कैप आदि के माध्यम से भी इस अभियान में जुड़ेगा। उन्होंने मानव श्रृँखला के आयोजन की तैयारी हेतु कार्यक्रम की जानकारी के लिये जिलाधिकारी, पटना से अनुरोध किया कि उनके द्वारा इस विषय पर प्रकाश डाला जाये।

श्री संजय कुमार अग्रवाल, जिलाधिकारी पटना ने बैठक को सम्बोधित करते हुए सबसे पहले चैम्बर को नशा मुक्ति अभियान में सक्रिय सहयोग देने हेतु धन्यवाद दिया। उन्होने बताया कि लगभग 1129 किलो मीटर लम्बे इस मानव श्रृँखला का राज्य व्यापी आयोजन दिनांक 21.1.2017 को किया जायेगा जिसमें लगभग 2 करोड़ लोगों की भागीदारी अनुमानित है। दिन के 12:15 बजे से 1 बजे तक यह श्रृँखला बनी रहेगी।

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं

आपने पुनः चैम्बर के अध्यक्ष पद का गुरूतर भार सौंप कर मुझमें जो विश्वास व्यक्त किया है, उसके लिए मैं आपका हार्दिक आभारी हूँ। मेरी पुरजोर कोशिश होगी की आपका विश्वास कायम रहे। परन्तु यह तभी सम्भव हो पायेगा जब चैम्बर के कार्यकलापों में आपका सक्रिय सहयोग, समर्थन एवं मार्गदर्शन मुझे सदैव मिलता रहेगा।

आपको विदित होगा कि ''सम्बन्धों की घनिष्टता आवृति के आयाम पर निर्भर करती है'' इसलिए मिलने-जुलने की प्रक्रिया निर्वाध रूप से चलती रहनी चाहिए। यह आवृति एवं पुनरावृति चैम्बर को विकास के सर्वोच्च शिखर पर ले जायेगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

इस बुलेटीन के माध्यम से मैं सम्मानित सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे अपनी व्यापारिक समस्याओं एवं सुझावों से चैम्बर को अवगत कराते रहे ताकि भावी कार्यक्रमों/बैठकों में उनका समावेश किया जा सके।

मैं सभी व्यावसायिक संगठनों से भी अनुरोध करूँगा कि वे अपने संगठनों की गतिविधियों/कार्यक्रमों की जानकारी चैम्बर को लिखित रूप में भेंजे ताकि चैम्बर के बुलेटीन में उसको प्रकाशित किया जा सके और प्रदेश के प्रत्येक व्यावसायिक संगठन एक-दूसरे की गतिविधियों से परिचित हो सके।

चैम्बर के अनुरोध पर दिनांक 21 जनवरी, 2017 को राज्य सरकार के मद्य निषेध अभियान हेतु मानव श्रृँखला में आपने जो अभूतपूर्व सहयोग एवं समर्थन किया उसके लिए भी मैं आपका आभारी हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसके लिए सभी व्यापारियों एवं व्यापारिक संगठनों की प्रशंसा की है।

बिजली की दरों में वृद्धि भी प्रस्तावित है। हमारी कोशिश होगी कि बिजली की दरों में वृद्धि व्यापारियों के अनुकूल हो।

जीएसटी एक प्रमुख मुद्दा है। इसके प्रावधान भी नये हैं। सभी व्यापारियों को जीएसटी का लाभ मिले, इसके लिए चैम्बर की तरफ से पूरी कोशिश की जायेगी।

नोटबन्दी से प्रदेश का कारोबार प्रभावित हुआ है। इस प्रभाव से निदान हेतु चैम्बर द्वारा रणनीति बनाई जायेगी।

केन्द्रीय बजट 2017 आने वाला है। हमने अपनी अपेक्षाओं से सरकार को अवगत करा दिया है।

नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ।

आपका

पी० के० अग्रवाल

माननीय मुख्यमंत्री, बिहार पटना के गाँधी मैदान में स्वयं इस मानव श्रृँखला का हिस्सा बनेंगे। राजधानी पटना में गाँधी मैदान से चारों दिशाओं की ओर श्रृँखला बनाई जायेगी। उन्होंने मानव श्रृँखला के मार्गों को विस्तार से बताया और सूचित किया की यह श्रृँखला सामान्यत: सड़क के बायी ओर बनाई जायेगी। पूरे राज्य में आयोजित इस मानव श्रृँखला की रिकॉर्डिंग सैटेलाइट तथा ड्रोन्स के माध्यम से की जायेगी।

उन्होंने सूचित किया कि दिनांक 21.1.2017 को प्रात: 10 बजे से लेकर 3 बजे तक मानव श्रृँखला के सम्पूर्ण पथ पर यातायात व्यवस्था प्रतिबन्धित रहेगी एवं केवल Emergency Service Vehicle को ही इन मार्गों से गुजरने की अनुमति दी जायेगी। जिलाधिकारी ने सूचित किया कि नशा मुक्त बिहार बनाने के इस अभियान को सभी धर्मों, सम्प्रदायों आदि का समर्थन मिला है। स्कूल के पाँचवी कक्षा और आगे के छात्र बड़ी संख्या में मानव श्रृँखला का भाग बनेंगे।

जिलाधिकारी महोदय ने बैठक में उपस्थित व्यक्तियों/संस्थानों से इस सम्बन्ध में सहयोग करने की अपील की तथा उनसे सुझाव मांगे। उन्होंने सुझाव दिया कि तख्ती, कैप, बैनर इत्यादि भी प्रदान कर इस अभियान से जुड़ा जा सकता है।

बिहार केमिस्ट्स एण्ड ड्रगिस्टस एसोसियेशन के अध्यक्ष श्री पी० के० सिंह ने बताया कि उनकी संस्था के सदस्यगण मानव श्रृँखला से अपने-अपने क्षेत्र में जुड़कर सहयोग करेंगे। यद्यपि दवा दुकानें खुली रखी जायेंगी ताकि किसी को कोई परेशानी नहीं हो।

श्री गणेश कुमार खेमका, सदस्य ने सुझाव दिया कि छोटे-छोटे बच्चों के लिये विद्यालयों को 21.1.2017 को बन्द रखा जाये। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि मद्य निषेध के साथ-साथ सभी प्रकार गैर कानूनी नशों पर कड़ाई से प्रतिबन्ध लगाना चाहिये।

श्री गोविन्द कानोडिया, पूर्व कोषाध्यक्ष ने सूचित किया कि पटना सिटी में उनकी संस्था द्वारा मानव श्रृँखला में सहयोग किया जायेगा। पानी की व्यवस्था की जायेगी। तख्ती तथा कैप की व्यवस्था भी की जा सकती है।

श्री तनसुख लाल बैद ने बताया कि जैन समाज पूर्ण रूपेण नशा मुक्ति अभियान से जुड़ा है उन्होंने इस हेतु अपने द्वारा उठाये गये कदमों की चर्चा की तथा स्लोगन से भी अवगत कराया।

चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि बिहार चैम्बर इस अभियान के लिये बैनर एवं टोपी की व्यवस्था कर रहा है। उन्होंने जिलाधिकारी पटना से आग्रह किया कि बैनरों पर प्रर्दशित किये जाने वाले स्लोगन से चैम्बर को अवगत कराया जाये। जिलाधिकारी, पटना के निर्देश पर चैम्बर कार्यालय को बैनर, तख्ती आदि हेतु प्रशासन द्वारा तैयार किये गये स्लोगन उपलब्ध कराये गये। चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि चैम्बर के सदस्यगण अपने-अपने व्यवसाय स्थल के पास ही मानव श्रृँखला में भाग लेंगे एवं पेयजल सहित अन्य सुविधाएँ भी उपलब्ध करायेंगे।

चैम्बर सदस्यों ने प्रशासन द्वारा प्राप्त स्लोगनों में से निम्न स्लोगन का चुनाव किया जो कि चैम्बर द्वारा तैयार किये जाने वाले बैनरों पर लिखा होगा-

"नशा मुक्त रहे बिहार, सुरक्षित रहे घर परिवार"।

श्री विशाल टेकरीवाल, कोषाध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

प्रवासी भारतीय दिवस में राज्य के प्रतिनिधि के रूप में चैम्बर की सहभागिता

दिनांक 7 से 9 जनवरी 2017 तक बेंगलूरू में प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित हुआ। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल एवं कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल ने प्रवासी भारतीय दिवस में राज्य के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया।

बाँयें से चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल, प्रधान सचिव, उद्योग डॉ० एस० सिद्धार्थ, श्री सुनील सिंह एवं रेसिडेंट कमिश्नर श्री विपिन कुमार।

बाँयें से चैम्बर के पूर्व महामंत्री श्री ए० के० पी० सिन्हा, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, श्री सुनील सिंह, चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल एवं अन्य।

बिहार में मानव श्रृँखला, बिहार ने रचा विश्व इतिहास

बिहार में नशामुक्ति संकल्प के साथ दिनांक 21 जनवरी, 2017 को पूरे प्रदेश की जनता ने मिलकर जो मानव श्रृँखला बनाई उस मानव श्रृँखला ने कई मायनों में इतिहास रच दिया। यह किसी बड़े सामाजिक मुद्दे पर बनने वाली विश्व की पहली मानव श्रृँखला थी। इसके पहले बंगलादेश एवं नेपाल सहित केरल में बनी मानव श्रृँखलाएँ विरोध प्रदर्शन के लिए थीं।

मानव श्रृँखला का केन्द्र विन्दु पटना का ऐतिहासिक गाँधी मैदान था। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी यहीं श्रृँखला में शामिल हुए।

चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि शराबबंदी के समर्थन में आयोजित मानव श्रृँखला अभूतपूर्व एवं वेमिशाल रही। चैम्बर के अपील पर बड़ी संख्या में व्यवसायियों ने राज्य भर में अलग-अलग जगहों पर मानव श्रृँखला में शामिल होकर पानी सहित अन्य चीजों की व्यवस्था की। चैम्बर की ओर से सारे व्यवसायियों को हार्दिक धन्यवाद।

सामाजिक बदलाव से होगी राजस्व की भरपाई

शराबबंदी से सामाजिक बदलाव फलीभूत होने लगा है। इसका असर घर-घर में पड़ेगा। बिहार खुशहाली और समृद्धि की राह पर बढ़ेगा। इस उपलब्धि के बूते भविष्य में सूबा शक्ति-सम्पन्न और समृद्ध होगा। देश-दुनिया में बिहार की अलग छवि बनेगी। पूर्ण शराबबंदी के संदर्भ में राज्य सरकार के फैसले से फिलहाल राजस्व की क्षति हो रही है, लेकिन स्वास्थ्य और विधि-व्यवस्था में सुधार आने से इसकी भरपाई हो जाएगी। मानव श्रृँखला का संदेश राज्य के जन-जन तक पहुंचेगा।

– श्री पी. के. अग्रवाल, अध्यक्ष,
बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, पटना
(साभार : दैनिक जागरण, 21-01-2017)

मानव श्रृँखला की कुछ तस्वीरें

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज एवं मेदान्ता हॉस्पीटल के संयुक्त तत्वावधान में दो दिवसीय नि:शुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर चैम्बर में आयोजित

रजिस्ट्रेशन काउंटर पर लोगों का रजिस्ट्रेशन करते श्री शशि गोयल, श्री अनिल पचीसिया, श्री हरीष राज एवं अन्य।

मेदांता से चैम्बर पहुँचे डाक्टरों का स्वागत। साथ में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश जैन, श्री सच्चिदानंद, श्री सबल राम डोलिया एवं अन्य।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज तथा मेदान्ता हॉस्पीटल, गुड़गाँव के संयुक्त तत्वावधान में चैम्बर परिसर में दिनांक 27 एवं 28 जनवरी, 2017 को नि:शुल्क हेल्थ चेक-अप शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में ख्याति प्राप्त चिकित्सकों द्वारा 300 से अधिक मरीजों की जाँच की गयी। साथ ही मैमोग्राफी, इकोकार्डियोलॉजी जैसे सुपर स्पेशियलिटी जाँच के साथ-साथ चेस्ट एक्स-रे, ई०सी०जी०, ब्लड सुगर, ब्लड प्रेशर इत्यादि जाँचों की नि:शुल्क व्यवस्था की गयी।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने सूचित किया कि इस शिविर में निम्न वर्णित विख्यात चिकित्सकों द्वारा मरीजों को कंसल्टेशन दिया गया।

डॉ० ए० एन० झा, चेयरमैन, मेदांता न्यूरो साईन्स विभाग एवं न्यूरो सर्जन, डॉ० प्रभात झा, एसोसियेट डायरेक्टर, इन्टरनल मेडिसीन, डॉ० (श्रीमती) तेजेन्दर कटारिया, चेयरपर्सन, रेडियेशन एवं अंकोलॉजी विभाग, डॉ० रिषभ केडिया, न्यूरो सर्जरी विभाग, डॉ० एस० के० तनेजा, कार्डियोलॉजी विभाग एवं डॉ० सुनील प्रकाश, न्यूरो फिजीसियन।

चैम्बर अध्यक्ष ने बताया कि इस दो दिवसीय शिविर से लगभग 300 मरीजों ने लाभ प्राप्त किया। उन्होंने आगे बताया कि वर्ष 2014 में भी मेदान्ता हॉस्पीटल के सहयोग से ही चैम्बर ने नि:शुल्क हेल्थ चेक-अप शिविर का आयोजन अपने परिसर में किया था जिससे बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हुए थे। उन्होंने बताया कि चैम्बर द्वारा समाज/लोक कल्याण के ऐसे कार्यक्रम समय-समय पर नियमित रूप से चलाये जाते हैं। चैम्बर ने निश्चय किया है कि भविष्य में भी इसके द्वारा ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन राजधानी पटना सहित राज्य के अन्य भागों में किया जायेगा।

इस अवसर पर मेदान्ता के न्यूरो साईंस विभाग के चेयरमैन एवं न्यूरो सर्जन डॉ० ए० एन० झा ने बताया कि गुड़गाँव स्थित मेदान्ता अस्पताल एवं बिहार सरकार के संयुक्त तत्वावधान में पटना के कंकड़बाग में अस्पताल की शीघ्र नींव रखी जायेगी। शुरूआत के 18 माह बाद यहाँ आपतकालीन सेवाएं मिलने लगेगी। इसके पीछे मंशा है कि बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर ऐसा हो कि दूसरे राज्यों से लोग इलाज के लिए बिहार आयें। इसका शुभारम्भ कभी भी हो सकता है। 1000 बेड का अस्पताल होगा। पाटलीपुत्र सहित अन्य स्थानों में भी ओपीडी के लिए जगह देखी जा रही है।

श्री ए० एन० झा ने कहा कि इस समय लोग अपनी जीवन शैली में बदलाव की वजह से बीमार पड़ रहे हैं। लाइफ स्टाईल में बदलाव की वजह से शुगर, बीपी, स्ट्रोक, कैंसर सहित अन्य बीमारियाँ हो रही है। दो दिनों तक चले शिविर में इन्हीं बीमारियों से ग्रसित लोग आये। खासकर युवाओं में लाइफ स्टाइल में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। इसके लिए उन्होंने परहेज से रहने की सलाह दी।

डॉ० (श्रीमती) तेजेन्दर कटारिया ने कैंसर के ईलाज के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी।

डॉ० प्रभात झा ने बताया अगर हम अपने वजन को नियंत्रित रखें तो कई प्रकार की बीमारियों से बचे रह सकते हैं।

मेमोग्राफी वैन के समीप उपस्थित मेदांता के चिकित्सकगण, टेक्नीशियन, चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश जैन, श्री सच्चिदानंद, श्री अनिल पचीसिया, श्री सबल राम डोलिया, श्री नवीन कुमार मोटानी एवं अन्य।

डॉ ए० एन० झा, चेयरमैन, मेदांता न्यूरो साईंस विभाग एवं न्यूरो सर्जन को बुके देकर स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल। साथ में उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, श्री सच्चिदानंद, श्री नवीन कुमार मोटानी एवं अन्य।

मरीजों की जाँच करते चिकित्सकगण।

संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते न्यूरो सर्जन डॉ० ए० एन० झा। उनकी दाँयीं ओर डॉ० तेजेन्द्र कटारिया एवं चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल। बाँयीं ओर पूर्व उपाध्यक्ष श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल।

शिविर के सफलतापूर्ण आयोजन में चैम्बर के पदाधिकारियों के अतिरिक्त श्री नवीन कुमार मोटानी, श्री अनिल पचीसिया, श्री साबल राम ड्रोलिया, श्री शशि गोयल, श्री सच्चिदानन्द, श्री आलोक पोद्दार, श्री हरीष राज आदि ने अपना भरपूर योगदान दिया।

चैम्बर प्रांगण में नि:शुल्क आधार कैम्प आयोजित

आधार कैम्प में अपना आधार कार्ड बनवाते लोग।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में चैम्बर के सौजन्य से दिनांक 17 से 20 जनवरी 2017 तक आधार कैम्प आयोजित हुआ। इस कैम्प में काफी लोगों ने नये आधार कार्ड बनवाने के साथ अपने पूर्व से बने आधार कार्ड में संशोधन भी करवाया। आधार कार्ड संशोधन में जो खर्च आया उसे चैम्बर ने वहन किया।

ईएसआई के प्रावधनों/संशोधनों पर चैम्बर में कार्यशाला

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण मे दिनांक 24 जनवरी 2017 को चैम्बर एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआई) के संयुक्त तत्वावधान में ईएसआई के नये प्रावधानों, योजनाओं की जानकारी हेतु एक कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यशाला की अध्यक्षता चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने की। इस अवसर पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम के क्षेत्रीय निदेशक श्री अरविन्द कुमार, मेडिकल रेफरी डॉ. फैयाज अहमद, उपनिदेशकों में सर्व श्री पंकज कुमार, प्राणेश कुमार सिन्हा, श्री संजीव कुमार एवं श्री राघे श्याम प्रसाद सहित कई अधिकारी उपस्थित थे।

चैम्बर अध्यक्ष श्री अग्रवाल ने श्री अरविन्द कुमार एवं डॉ. फैयाज अहमद को विशेष रूप से धन्यवाद दिया जिन्होंने राज्य के उद्यमियों एवं व्यापारियों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नये प्रावधानों में हुए परिवर्त्तनों /संशोधनों के संबंध में विस्तृत जानकारी देने हेतु आज की यह कार्यशाला आयोजित करने का अवसर चैम्बर को प्रदान किया।

श्री अग्रवाल ने बताया कि भारत सरकार ने उद्यमियों एवं व्यापारियों की सुविधा के लिए 'स्प्री' योजना (Scheme to Promote Registration of Employers/ Employees)(नियोक्ता / कर्मचारी पंजीयन प्रोत्साहन योजना) शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य, वैसे नियोक्ता / कर्मचारियों को इस बीमा योजना के अधीन लाना है जो otherwise ESIC अधिनियम के तहत Coverable हैं परन्तु किसी कारणवश अब तक ESIC में अपना निबंधन नहीं करा पाये हैं।

'स्प्री' (SPREE) योजना के तहत निबंधन कराने वाले नियोक्ता निबंधन तिथि या स्वयं घोषित तिथि से ही ESI अधिनियम में पंजीकृत माने जायेंगे तथा उनसे पिछली कोई जानकारी नहीं माँगी जायेगी या किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी। अत: व्यवसायी इस योजना का लाभ उठाएं।

श्री अग्रवाल ने उम्मीद जताई कि आज की कार्यशाला से उद्यमी एवं व्यापारी काफी लाभान्वित होंगे तथा उनकी शंकाओं / समस्याओं का समाधान ESIC के अधिकारियों द्वारा किया जायगा।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय निदेशक श्री अरविन्द कुमार ने कहा कि ESI Scheme को लेकर अभी भी काफी जागरूकता लाने की आवश्यकता है। विश्व में किसी भी बीमा योजना में ESI जैसी सुविधा नहीं है। इस योजना के तहत पूर्व में 15 हजार रुपये वेतन पाने वाले कर्मचारियों को योजना का लाभ मिलता था। अब 21 हजार रुपये वेतन पाने वाले कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि यह योजना काफी डेमोक्रेटिक है। अभी यह योजना राज्य के 16 जिलों में ही लागू है जिसे आगामी 1अप्रैल से 22 अन्य जिलों में भी यह योजना शुरू की जायगी।

उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत सभी कर्मचारियों को एक ही तरह से सुविधा दी जाती हैं। एक दिन के लिए भी कार्य करने वाले कर्मियों को इस

कार्यशाला को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल। उनकी दाँयीं ओर उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर, लेबर सब कमीटी के संयोजक डॉ० बी० बी० वर्मा। बाँयीं ओर ईएसआई के क्षेत्रीय निदेशक श्री अरविन्द कुमार एवं अन्य।

योजना के तहत कवर किया जाता है। यद्यपि यह बीमा योजना नहीं है, लेकिन लोगों को इंश्योर करना इस स्कीम का हिस्सा है।

श्री अरविन्द कुमार ने आगे बताया कि इस योजना के तहत अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जायगी। इस योजना के तहत मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर में ESI अस्पताल शीघ्र खोले जायेंगे। जिलों में शाखा कार्यालय एवं डिस्पेंसरी भी स्थापित की जायगी। 24 पैनल डाक्टर लगाये गये हैं एवं निजी बेहतर अस्पतालों से भी टाईअप किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक माह के दूसरे सोमवार को हमारे कार्यालय में "सुविधा समागम" आयोजित किया जाता है। इसमें सभी समस्याओं का तत्क्षण समाधान किया जाता है। उन्होंने अपना मोबाइल नं- **09419295822** की जानकारी सबों को देते हुए कहा कि किसी भी परेशानी के समय उनसे सम्पर्क किया जा सकता है।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए चैम्बर के लेबर सब कमीटी के संयोजक डॉ. बी. बी. वर्मा ने कहा कि ESI Scheme की जानकारी सभी व्यवसायियों को हो इसके लिए व्यापक प्रचार आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा कि नये उद्यमियों को पहले इससे छूट थी। Default के मामले में उद्यमी राशि के साथ ब्याज तो देते ही हैं, उन्हें Penalty भी चुकानी पड़ती है, उसे समाप्त किया जाना चाहिए। तकनीकी भूलों के लिए प्रधान नियोक्ता को जिम्मेवार ठहराया जाता है, इसमें सुधार की आवश्यकता है।

कार्यशाला में सदस्यों को पावर प्वाइंट प्रेजेन्टेशन के द्वारा ESI की योजनाओं / प्रावधानों की जानकारी दी गयी। सदस्यों की शंकाओं एवं समस्याओं का भी ESIC के अधिकारियों ने समाधान किया।

इस अवसर पर चैम्बर के पूर्व कोषाध्यक्ष डॉ. रमेश गाँधी, पूर्व उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश टिबड़ेवाल, श्री सच्चिदानन्द, कई सदस्यों के प्रतिनिधिगण एवं मीडियाकर्मी उपस्थित थे। श्री एन. के. ठाकुर, उपाध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यशाला सम्पन्न हुई।

केन्द्रीय बजट – 2017 से अपेक्षाएं

श्री पी. के. अग्रवाल द्वारा "Live Patna"
न्यूज एजेंसी को दिए गए Interview का सार

इस बार का बजट ऐतिहासिक है। यह ऐतिहासिक कई मायनों में है। पहला, नोटबंदी के बाद का यह पहला बजट है। दूसरा, रेल बजट व आम बजट एक साथ आ रहा है। तीसरा, पाँच राज्यों में होनेवाले विधानसभा चुनाव के तीन दिन पहले यह आ रहा है। क्या होगा सस्ता। कहाँ पर पड़ेगी महंगाई की मार। टैक्सेशन से लेकर डिजिटल ट्रांजेक्शन तक पर क्या निर्णय होंगे। इससे लोगों की क्या उम्मीदें हैं। इन सब पर लाइव सिटीज ने बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट पी० के० अग्रवाल से बात की। उन्होंने रेलवे प्रोजेक्ट, डिजिटल इंडिया, कैशलेस, जीएसटी से लेकर इंडस्ट्रीज सेक्टर के छोटे-बड़े बिजनेसमैन तक पर अपने बेबाक विचार रखे।

पुरानी योजनाओं पर इंप्लीमेंट करे रेलवे : बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट पी० के० अग्रवाल ने कहा कि बेशक बजट से लोगों की काफी उम्मीदें जुड़ी हैं। यही वजह है कि औद्योगिक घरानों से लेकर आम आदमी तक की इस पर नजर है। इस बार रेल बजट और आम बजट दोनों एक साथ आ रहे हैं। इससे केन्द्र की जिम्मेवारी और अधिक बढ़ जाती है। सरकार को रेल बजट पर खास ध्यान देने की जरूरत है। पिछले दो-तीन बजटों से बिहार को कोई नयी रेलगाड़ी नहीं मिली है। इस पर सरकार ध्यान दे। वहीं गाड़ियों की लेट लतीफी भी जोरों पर है। इसे सुधारने की जरूरत है। इससे काफी काम हैम्पर होता है। उन्होंने कहा कि रेलवे अपनी पुरानी योजनाओं पर भी वर्कआउट करे। कई योजनाएं वर्षों से लंबित हैं, वे भी जल्द पूरी हों। इसके पहले जो घोषणाएं की गयी हैं, उन सबों को भी इंप्लीमेंट करने की जरूरत है।

मुगलसराय-झाझा रेलखंड पर तीसरी लाइन दे सरकार : पी. के. अग्रवाल ने कहा कि मुगलसराय से झाझा रेलखंड को ट्रिपल लाइन करने की जरूरत है। तीसरी लाइन बन जाने से बिहार को बहुत फायदा होगा। क्योंकि दिल्ली से मुगलसराय तक तो ट्रेन ठीक से आती है, लेकिन इसके बाद मामला फंस जाता है। इसका गुड्स ट्रैनों पर भी असर पड़ता है। इससे ज्यादा व्यापारी वर्ग प्रभावित होते हैं। उन्होंने कहा कि पुरानी योजनाओं में बिहार में हरनौत रेल कारखाना आज तक सरजमीन पर नहीं उतर सका है। मढौरा डीजल इंजन कारखाना भी अपने पूर्ण होने के इंतजार में है। छपरा पहिया कारखाने से भी अब तक उत्पादन प्रारंभ नहीं हो सका है। मधेपुरा इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना भी सरकारी फाइलों के पचड़े से नहीं निकल पा रहा है। ये बिहार की ऐसी योजनाएँ हैं, जिनके पूरा होने से यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है।

विशेष पैकेज पर भी सरकार को ध्यान देना होगा : पी. के. अग्रवाल ने कहा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स पहले से ही विशेष राज्य का दर्जा अथवा विशेष पैकेज की हिमायती रहा है। चूँकि बिहार में संसाधन की कमी है, ऐसे में केन्द्र को हर हाल में बिहार को मदद करनी ही होगी। इसके बिना इसका विकास संभव नहीं है। फिर देश के विकास के लिए बिहार की प्रगति बहुत जरूरी है। विशेष पैकेज मिलने से बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर खुदबखुद संवर जायेगा। एयरपोर्ट, रोड, कम्यूनिकेशन से लेकर हर सेक्टर में फायदा होगा। वैसे विकास तो बिहार का लगातार हो रहा है, लेकिन विशेष पैकेज मिलने से विकास की रफ्तार और तेज हो जायेगी।

इनकम टैक्स की लिमिट व स्लैब बढ़े : उन्होंने कहा कि हर आम बजट में व्यावसायी वर्ग को इंतजार रहता है कि इनकम टैक्स की लिमिट 2.50 लाख से बढ़ कर पाँच लाख होगी। लेकिन अब तक इस वर्ग को निराशा ही हाथ लगी है। इस बार वित्त मंत्री जेटली साहब से उम्मीद है कि अबकी इस पर वो ध्यान देंगे, उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स की लिमिट तो बढ़े ही, साथ टैक्स के स्लैब को भी बढ़ाया जाये। उन्होंने कहा कि जो 10 परसेंट, 20 परसेंट और 30 परसेंट के लिए इनकम की राशि का जो स्लैब है। उसे भी बढाया जाये।

डिजिटल लेने देन बिल्कुल फ्री हो : कैशलेस योजना अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए सुविधा के साथ माहौल भी बनाया जाये। कैशलेस ट्रांजेक्शन पर किसी तरह का सरचार्ज नहीं लगे। केन्द्र को चाहिए कि इस मुद्दे को वे इस बजट में शामिल करे। वरना कैशलेस योजना के प्रति लोगों का रुझान नहीं बढ़ेगा। इसी सरचार्ज के विरोध में पिछले दिनों पेट्रोल पंप वालों ने हंगामा किया था और आंदोलन की धमकी दी थी।

बैंक निकासी की लिमिट खत्म हो : पी. के. अग्रवाल कहते हैं कि नोटबंदी सही है, लेकिन बैंक निकासी पर लिमिट कतई सही नहीं है। यह बिल्कुल खत्म हो। लोगों के पास पैसे रहते हुए भी वे बड़ा काम नहीं कर पाते हैं। इस पर से पाबंदी तत्काल हटे। वहीं कॉरपोरेट टैक्स को भी कम किया जाये। आज नोटबंदी की वजह से कई सेक्टरों में मंदी आ गयी है। कॉस्ट कटिंग के नाम पर छोटी-छोटी कंपनियों में छंटनी होने लगी है। बेरोजगारी बढ़ गयी है। इसे देखते हुए तत्काल बजट में कोई ठोस कदम उठाया जाये। उन्होंने कहा कि जीएसटी पर भी पूरे देश में एक जैसा कानून लागू हो। यह नहीं कि वैट पर तीन माह राज्य और नौ माह केन्द्र अपना सिक्का चलाए। रही बात बिहार के एग्रीकल्चर, मेडिकल, टूरिज्म, एजुकेशन सेक्टर आदि की बात तो केन्द्र खुले मन से बिहार के विकास के लिए बजट में प्रावधान करे, तो यह खुद ही चमक जायेगा और यहाँ के लोग भी खुशहाल होंगे। **(साभार : लाइव पटना, 30.1.2017)**

नोटबंदी के बाद कैश की कमी से उद्योग जगत हुए प्रभावित

नोटबंदी की मार से बिहार के उद्योग-धंधे की रफ्तार धीमी पड़ गई है। सूबे में सबसे ज्यादा दिक्कत फूड प्रोसेसिंग, प्लास्टिक व उपभोक्ता उपयोग से जुड़ी वस्तु से जुड़े उद्योगों को हुई है। फूड प्रोसेसिंग से जुड़े छोटे-बड़े उद्योगों के व्यवसायियों का कहना है कि नोटबंदी से 50 फीसदी तक की गिरावट आई है। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के नव निर्वाचित अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने बताया कि बिहार में नोटबंदी की सबसे अधिक मार फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योगों पर पड़ी है। उन्होंने बताया कि बिहार में अधिकतर उद्योग धंधे उपभोग से जुड़े हैं। इनके अनुसार फूड प्रोसेसिंग में कैश की कमी से डिमांड घटने से 50 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है। पी. के अग्रवाल ने बताया कि प्लाईवुड, बिस्कुट, छड़, स्टील, लोहा, सीमेंट व कुरकरे व चिप्स जैसे व्यवसाय बुरी तरह नोटबंदी की चपेट में आ गए हैं। **(हिन्दुस्तान, 28.1.2017)**

केन्द्रीय बजट – 2017 से अपेक्षाएं

पी. के. अग्रवाल, अध्यक्ष
बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज

• स्पेशल पैकेज की बात हो चुकी है। केन्द्र सरकार इसे अमल में लाए। • इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, रोड-रेल और एयरपोर्ट को मिले पैसा। • आयकर छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाई जाए। यह कम से कम 3.5 लाख हो। • व्यवस्था मिले कि समय सीमा के अंदर पारदर्शिता के साथ आयकर मामले निष्पादित हों। •डिजिटल भुगतान पर किसी तरह का चार्ज न लगे, इसे केन्द्र वहन करें।

एन० के० ठाकुर, उपाध्यक्ष
बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज

• ब्याज दरों में कमी कर उद्योगों को राहत दी जाए और आसानी से उद्यमियों को मिले कर्ज। • सस्ता ऋण समय सीमा के अंदर उद्योगों को मिले, ऐसी व्यवस्था हो। • औद्योगिक भूखंडों के लिए बजट में विशेष प्रावधान हो। साथ ही पारदर्शिता के साथ इसका आवंटन हो • कर प्रक्रिया अभी जटिल है, इसको सरलीकरण हो। विवाद भी आसानी से सुलझाए जाएँ। • हर स्तर पर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष नीति हो। जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

मुकेश जैन, उपाध्यक्ष
बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज

• कपड़ा एक जरूरी चीज है, इस पर कर नहीं लगाया जाए। अभी जो कर लगाए गए हैं उन्हें भी खत्म किया जाए। • बिहार के उद्योगों के लिए एकमुश्त पैकेज मिले। इससे उद्योगों को गति मिलेगी। • इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत खराब है। इसे दुरुस्त किया जाए। सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए राशि मिले। • उद्योग लगाने वाले व्यापारियों को भूखंड और ऋण आसानी से मिले। साथ ही कर्ज की प्रक्रिया भी सरल हो। • कर संबंधी समस्याओं के निदान की विशेष व्यवस्था हो। इसके लिए सरकार बजट में कदम उठाए।

विशाल टेकरीवाल, कोषाध्यक्ष
बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज

• विशेष राज्य का दर्जा बिहार को देने की पहल फिर से शुरू हो, जिससे सूबे का पिछड़ापन दूर हो। • स्पेशल पैकेज के लिए बजट में प्रावधान किया जाए। इसपर पूर्व से ही बात हो चुकी है। • नेशनल हाईवे की हालत खराब है। इसे दुरुस्त किया जाए। आवागमन इस समय लचर है। • गंगा नदी पर बने पुल तुरंत चालू किए जाए। इसके लिए बजट में राशि का प्रावधान किए जाए। • ट्रांसपोर्टिंग की स्थिति को उद्योगों के अनुकूल बनाने की व्यवस्था हो।

शशि मोहन, महामंत्री
बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज

• उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। • ऐसा संभव नहीं है तो ऐसी नीति बने जिससे उद्योगों की जरूरत पूरी हो • औद्योगिक विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया जाए • ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अब भी बेहद सुस्त हैं, इसे गति मिले। जिससे त्वरित ढंग से काम हो • उद्योग को बजट में रियायत और छूट दी जाए, जिससे औद्योगिकरण की प्रक्रिया तेज हो।

(साभार : दैनिक जागरण, 20.1.2017)

आम बजट में बिहार को मिले स्पेशल पैकेज

नोटबंदी के बाद पहले आम बजट में पटना के व्यवसायियों ने बिहार के लिए स्पेशल पैकेज की मांग की है। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने केन्द्रीय आम बजट 2017 के लिए केन्द्र सरकार को अपनी मांगें भेज दी हैं। इसमें स्पेशल पैकेज के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग से फंड की मांग की गई है।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने बताया कि केन्द्रीय बजट से राज्यों में विकास की दिशा तय होती है। विकास के लिए बिहार की स्पेशल पैकेज, आधारभूत संरचना के विकास के लिए विशेष फंड और आयकर की सीमा पाँच-पाँच लाख किया जाना चाहिए।

उन्होंने कॉरपोरेट व नन कॉरपोरेट टैक्स की दरों में कटौती करने व जीएसटी लागू करने से पहले की अवधि में वैट की असेसमेंट प्रक्रिया तय करने की जरूरत बताई।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ये हैं मांगें : • बिहार को स्पेशल पैकेज मिले • एयरपोर्ट, हाईवे आदि के विकास के लिए अलग से फंड मिले • आयकर की सीमा ढाई लाख से बढ़ाकर पाँच लाख की जाए • कॉरपोरेट टैक्स के साथ नन कॉरपोरेट टैक्स भी घटाया जाए • आयकर संबंधी मामलों के निपटान की समय सीमा निर्धारित हो • जीएसटी लागू करने को लेकर व्यापारियों के भ्रम दूर किए जाएँ।

(साभार : हिन्दुस्तान, 23.1.2017)

अर्थव्यवस्था पर गहरा असर

विमुद्रीकरण का बिहार की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर हुआ है। डिजिटल लेन-देन बिल्कुल फ्री हो। इसलिए कैशलेस ट्रांजेक्शन पर किसी तरह का सरचार्ज नहीं लगे। रेलवे की कई पुरानी योजनाएँ लंबित हैं। पिछले दो-तीन बजट में बिहार को कोई नई ट्रेन नहीं मिली हैं। लंबित योजनाओं को भी धरातल पर लाने की जरूरत है। मुगलसराय से झाझा रेलखंड को ट्रिपल लाइन करने की जरूरत है। बिहार में हरनौत रेल कारखाना आज तक सरजमीं पर नहीं उतर सका है। मढ़ौरा डीजल इंजन कारखाना भी पूर्ण होने के इंतजार में है। छपरा पहिया कारखाने से भी अब तक उत्पादन प्रारंभ नहीं हो सका है। मधेपुरा इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना भी सरकारी फाइलों के पचड़े से नहीं निकल पा रहा है। ये बिहार की ऐसी योजनाएं हैं, जिनके पूरा होने से यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है।

– पी. के. अग्रवाल, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स

(साभार : दैनिक भास्कर, 30.1.2017)

बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले

"केन्द्र सरकार वर्ष 2017-18 के बजट में बिहार के आर्थिक व औद्योगिक रूप से पिछड़ेपन को देखते हुए राज्य को विशेष दर्जा देने पर जरूर विचार करेगी और यदि ऐसा संभव नहीं होगा, तो विशेष दर्जे की भाँति प्राप्त लाभ का विशेष पैकेज राज्य को देगी। उम्मींद है कि बजट में आयकर की छूट सीमा को पाँच लाख तक बढ़ाया जायेगा। आम बजट में राज्य की लंबित रेल परियोजनों के बारे में उम्मीद है कि इस बार केन्द्र सरकार इसके लिए जरूर विशेष प्रावधान करेगी।"

– पी० के० अग्रवाल, अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑर्फ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज

(साभार : प्रभात खबर, 31.1.2017)

बिहार में कैसे आए बहार ?

नोटबंदी के बाद बिहार के कारोबारियों को केन्द्र सरकार के बजट से खासी उम्मीदें हैं। एक तरफ तो वे केन्द्र सरकार की इस कदम का पूरे शिद्दत से स्वागत करते हैं, लेकिन साथ ही साथ बिहार में बैंकों के रवैया बदलने की मांग भी पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। साथ ही, जीएसटी जैसे अहम कर सुधार से भी उन्हें काफी उम्मीदें हैं। हालांकि, सबसे ज्यादा जोरदार मांग उनकी राज्य में बुनियादी क्षेत्र में निवेश की है।

कई पैमानों पर राष्ट्रीय औसत से पिछड़े बिहार को बडे स्तर पर मदद की दरकार। राज्य के सीमित संसाधनों को देखते हुए केन्द्र की ओर नजर

बुनियाद की मांग : बुनियादी ढांचे पर जोर देना राज्य के उद्यमियों की लंबे समय से मांग रही है। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने कहा, 'बुनियादी ढांचे में मोटे निवेश की जरूरत है। राज्य सरकार अपने स्तर पर कोशिशें कर रही है, लेकिन अकेले उसके बूते ऐसा करना मुमकिन नहीं होगा। बुनियादी ढांचे में राज्य राष्ट्रीय स्तर से काफी पीछे हैं।'

गंगा नदी पर पुलों के अलावा बिहार को पारादीप या हल्दिया जैसे बंदरगाहों से जोड़ने की मांग भी हो रही है, ताकि विदेशी कारोबार बढ़ सके। बिहार सड़कों के मामले में राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे हैं। इस वक्त देश में प्रति लाख आबादी पर 323 किलोमीटर सड़क है, जबकि बिहार में यह आंकड़ा महज

126 किलोमीटर। स्पष्ट है कि राज्य में सड़कों का जाल बिछाना अपरिहार्य हो गया है।

यातायात की बात : राज्य के कारोबारी रेल और वायु यातायात के मोर्चे पर भी बेहतरी की मांग कर रहे हैं। यहाँ रेलवे लाइन भी राष्ट्रीय औसत से कम है। रेलवे के पास राज्य की जरूरत को पूरा करने के लायक रैक भी नहीं हैं। वायु परिवहन के मोर्चे पर भी पटना हवाई अड्डे का विकास करना अब मुमकिन नहीं है। इसलिए भागलपुर, गया, पूर्णिया और डेहरी में मझोले हवाई अड्डे स्थापित किए जा सकते हैं। अग्रवाल के मुताबिक बिहार में ड्राई पोर्ट बनाने की सख्त जरूरत है, ताकि स्थानीय उद्यमी तेजी से विकास कर सकें।

(साभार : अर्थनामा, जनवरी 2017)

चैम्बर अध्यक्ष ने पटना स्कुटर ट्रेडर्स एसोसियेशन द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का किया उद्घाटन

टूर्नामेन्ट का उद्घाटन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल। साथ में बाँयीं ओर पटना स्कुटर ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री रमेश कुमार मोदी। दाँयीं ओर ऐसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष श्री हनुमान सहाय गोयल एवं अन्य।

गणतंत्र दिवस के समारोह के शुभ अवसर पर दिनांक 26 जनवरी, 2017 को पटना स्कुटर ट्रेडर्स एसोसियेशन (PSTA) द्वारा स्थानीय मोइनुलहक स्टेडियम में आयोजित ''स्व० ठाकुर दास भक्तानी क्रिकेट टुर्नामेंट'' का उद्घाटन चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने किया। चैम्बर अध्यक्ष ने इस आयोजन को प्रशंसनीय एवं अनुकरणीय बताया ।

क्रिकेट मैच के लिए दो टीम बनाई गयी थी ''दबंग डायमण्ड'' एवं ''स्टार गोयेज''। इस बार का मैच रोमांचक था क्योंकि 18 साल के बच्चे से लेकर 65 वर्ष तक के बुजुर्गों ने भी इसमें हिस्सा लिया। जिसमें ''दबंग डायमण्ड'' विजेता हुई।

इस अवसर पर चैम्बर कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, पूर्व उपाध्यक्ष श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल एवं वैट उप समिति के संयोजक श्री नवीन मोटानी भी उपस्थित थे ।

टुर्नामेंट के अवसर पर पटना स्कुटर ट्रेडर्स एसोसियेशन (PSTA) के

पुष्पगुच्छ देकर चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल का स्वागत करते स्कूटर ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री रमेश कुमार मोदी। साथ में चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल, श्री नवीन कुमार मोटानी, ऐसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष श्री हनुमान सहाय गोयल एवं अन्य।

अध्यक्ष श्री रमेश कुमार मोदी ने बताया कि स्व० ठाकुर दास भक्तानी, पटना स्कुटर ट्रेडर्स एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष थे। उनकी स्मृति में यह टुर्नामेंट हर वर्ष सामाजिक सौहार्द के रूप में आयोजित किया जाता है।

उक्त अवसर पर एसोसियेशन के पूर्व अध्यक्ष श्री हनुमान सहाय गोयल, महासचिव श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव (निक्कू जी), कोषाध्यक्ष श्री मनोज कुमार जैन, कार्यकारिणी सदस्यों में सर्वश्री घनश्याम अग्रवाल, अजय कुमार, अमितेश कुमार, पारसनाथ साहू सहित पीएसटीए के सदस्यगण अपने परिवार सहित उपस्थित थे।

संपत्ति कर बकाएदारों को वन टाइम सेटलमेंट का मिला अंतिम मौका

संपत्ति कर के बकाएदारों को सरकार की तरफ से बड़ी राहत दी गई है। सरकार बकाएदारों के लिए आगामी 1 फरवरी से 31 मार्च तक 'वन टाइम सेटलमेंट' योजना शुरू करने जा रही है। इस अवधि में संपत्ति कर का भुगतान करने वालों को उनके बकाए संपत्ति कर पर दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर से न तो ब्याज चुकाना होगा और न ही उनके बकाए पर किसी तरह का दंड वसूला जाएगा। नगर विकास एवं आवास विभाग के इस प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल ने 25.01.2017 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। साथ ही 11 जिला स्तरीय तथा तीन प्रमंडल स्तरीय संयुक्त कृषि भवन के निर्माण 68 करोड़, 63 लाख, 36 हजार रुपये की अनुमति दी गई है। राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में कुल 21 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।

(साभार : दैनिक भास्कर, 26.1.2017)

विधानमंडल का सत्र 23 से, 27 को आएगा राज्य का बजट

विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होगा। इस दौरान कुल 23 बैठकें होंगी। 27 को सूबे का बजट पेश किया जाएगा। पहले दिन विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राज्यपाल रामनाथ कोविंद संबोधित करेंगे। उसी दिन आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाएगा। 24, 25 एवं 26 फरवरी को बैठक नहीं होगी। 27 फरवरी को बजट के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2016-17 का तीसरा अनुपूरक बजट भी रखा जाएगा।

28 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद एवं सरकार का उत्तर होगा। अगले दिन एक मार्च को आम बजट पर सामान्य चर्चा होगी। दो मार्च को भी चर्चा जारी रहेगी। सरकार का जवाब भी आएगा। तीन मार्च को वष 2016-17 के तीसरे अनुपूरक बजट पर वाद-विवाद, सरकार का जवाब एवं विनियोग विधेयक पेश होगा। 6 से 10 मार्च तक वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट अनुदान की मांगों पर वाद-विवाद और मतदान होगा।

(साभार : दैनिक भास्कर, 26.1.2017)

वाणिज्यकर संग्रह में 1000 करोड़ की कमी

नोटबंदी का असर राज्य सरकार की आय के मुख्य स्रोत वाणिज्यकर के संग्रह पर सीधे तौर पर पड़ा है। अब तक इसमें 1000 करोड़ से ज्यादा की कमी आयी है। चालू वित्तीय वर्ष के शेष दो महीनों में इसका असर ज्यादा बड़े स्तर पर दिखने की आशंका है।

बिहार में नोटबंदी की मार : • 2015-16 में वाणिज्यकर का संग्रह : 17,300 करोड़ • 2016-17 में लक्ष्य : 22, 000 करोड़, अब तक संग्रह : 12. 200 करोड़।

इससे अब तक चालू वित्तीय वर्ष के लक्ष्य (22,000 करोड़) को हासिल करना तो बहुत दूर की बात है, पिछले वर्ष के 17,300 करोड़ के आंकड़े को छूना भी मुश्किल लग रहा है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक मात्र 12,200 करोड़ वाणिज्यकर का संग्रह हुआ है। आठ नवम्बर को नोटबंदी की घोषणा के बाद दिसम्बर तक इस पर बहुत प्रभाव नहीं दिखा था, लेकिन जनवरी, 2017 के बाद से इसका असर साफ तौर पर दिखने लगा है। नोटबंदी से बाजार में उन सामान की बिक्री बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित हुई है, जिन पर राज्य में वैट लगता है। राज्य में वैट के दायरे में सीमेंट, छड़, पेंट, लकड़ी के फर्नीचर समेत करीब 52 तरह के सामान आते हैं। हालांकि, वाणिज्यकर विभाग इस कमी की न्यूनतम

रखने की कोशिश में लगा हुआ है। व्यापक स्तर पर वैट संग्रह की कवायद तेज कर दी गयी है।

पिछले वर्ष की तुलना में कुल 3500 करोड़ का नुकसान : पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना की जाये, तो चालू वित्तीय वर्ष में वाणिज्यकर संग्रह में कुल कमी 3,500 करोड़ की होगी। इनमें 1000 करोड़ नोटबंदी के कारण, जबकि 1500 करोड़ रुपये की कमी शराबबंदी के कारण होगी। इसमें उत्पाद विभाग को होनेवाला नुकसान शामिल नहीं है। इसके अलावा पिछले वित्तीय वर्ष में एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण बिहार को 1000 करोड़ रुपये अतिरिक्त मिले थे। इन तीनों को मिला कर पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस बार राज्य को 3,500 करोड़ का नुकसान होने जा रहा है।

पिछले वर्ष से कम संग्रह होने के आसार : चालू वित्तीय वर्ष में वाणिज्यकर संग्रह पिछले वित्तीय वर्ष से भी कम होने का अनुमान है। अब तक हुए संग्रह के आधार पर विभागीय जानकारों का यह आकलन है कि इस वर्ष 15,500 करोड़ से ज्यादा टैक्स जमा होने की उम्मीद नहीं है। पिछले वित्तीय वर्ष में 17,300 करोड़ का टैक्स संग्रह हुआ था। हालांकि, कुछ जानकार कहते हैं कि इस बार कुछ हद तक कोशिश करने पर यह संग्रह 17,000 करोड़ के आसपास पहुँच सकता है। फिर भी पिछले वित्तीय वर्ष यह कम ही रहेगा।

(साभार : प्रभात खबर, 28.1.2017)

विश्व बैंक करेगा बिहार के उद्योगों को सहयोग

बिहार अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर निवेश डेस्टिनेशन बने इसके लिए राज्य सरकार कई स्तरों पर काम कर रही है। नई औद्योगिक नीति- 2016 के साथ सिंगल विंडो सिस्टम भी लागू किया गया है। सरकार विश्व बैंक से भी सहयोग ले रही है। इसके लिए उद्योग विभाग और विश्व बैंक के बीच समझौता हुआ है। केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग ने भी इस समझौता को लेकर हरी झंडी दे दी है। योजना के तहत विश्व बैंक उद्योग विभाग को न केवल तकनीकी सलाह देगा, बल्कि इसके लिए वातावरण बनाने में भी मदद करेगा। राज्य में बिजनेस की शुरुआत, विस्तार और निवेशकों को आकर्षित करने की रणनीति भी तैयार करेगा। अगले दो साल तक विश्व बैंक की सलाहकार टीम राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेगी।

पहले से चिह्नित सेक्टर के लिए प्रभावी निवेश फ्रेमवर्क विकसित किया जाएगा। इसके तहत इस सेक्टर में वर्तमान आर्थिक गतिविधियां, निवेश की प्रवृत्ति और भविष्यवाणी, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय बाजार, उत्पाद में स्थानीय मूल्यवर्धन और इसमें प्रतिस्पर्धा व चुनौतियों का अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद विश्व बैंक की टीम प्राथमिक सेक्टर में निवेश के लिए क्या यूनिक सेलिंग प्राइस (यूएसपी) हो सकता है, इसकी तलाश करेगी।

क्या होगा फायदा : विश्व बैंक द्वारा आयोजित सेमिनार और कार्यशाला में बिहार में निवेश को लेकर फोकस किया जाएगा, ताकि निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। निवेश प्रोत्साहक एजेंसियों से निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सपोर्ट मिलेगा। राज्य के कृषि उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय फलक पर बाजार मिलने की उम्मीद है। राज्य में निवेश के लिए माहौल बनेगा।

स्थानीय उत्पादों के लिए खोजेंगे बाजार

"उद्योग विभाग और विश्व बैंक के बीच समझौता हुआ है। विश्व बैंक बिहार में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए रणनीति बनाने में तथा स्थानीय उत्पाद के लिए बाजार खोजने में मदद करेगा। सेक्टर विशेष में निवेशकों का सर्वे कर उन्हें बिहार में निवेश करने के लिए आमंत्रित करेगा।"

– डॉ. एस. सिद्धार्थ, प्रधान सचिव, उद्योग

(साभार: दैनिक भास्कर, 30.1.2017)

प्रत्येक शनिवार को होगी सुनवाई

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद राज्य के सभी उद्योगों की समस्याओं का निराकरण माह के हर शनिवार को करेगा। प्रदूषण बोर्ड ने एक नई पहल शुरू की है। प्रदूषण बोर्ड के कार्यालय में विशेष सुविधा केन्द्र बनाया गया है। राज्य के वैसे सभी छोटे व बड़े उद्योग जिन्होंने उद्योग चलाने के लिए प्रदूषण बोर्ड से सहमति ली है वे अपनी समस्या लेकर पटलिपुत्रा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित मुख्यालय में आ सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन करने की व्यवस्था प्रदूषण बोर्ड ने की है। माह के पहले शनिवार को ईट भट्ठा, फ्लाई एस, दूसरे शनिवार को चावल मिल और आटा मिल, तीसरे शनिवार को ईंट भट्ठा एवं फ्लाई एस ब्रिक्स और चौथे शनिवार को अन्य श्रेणी की समस्याएं सुनी जाएँगी। **(साभार : हिन्दुस्तान, 28.1.2017)**

हर महीने होगी एसआईपीबी की बैठक, अभी तीन माह में एक बार होती है

20 करोड़ तक के निवेश प्रस्ताव को मंत्री स्तर पर ही मिलेगी मंजूरी

निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार कई स्तर पर काम कर रही है। नई औद्योगिक नीति 2016 को सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद सरकार ने औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2016 को भी लागू कर दिया। इसके लिए उद्योग विभाग ने राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद (एसआईपीबी) के गठन की अधिसूचना भी जारी कर दी है। नए प्रावधान के तहत अब राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद की बैठक हर माह होगी। अब तक यह बैठक तीन माह में एक बार होती है। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2016 के तहत 20 करोड़ तक के निवेश प्रस्ताव को मंत्री स्तर से ही मंजूरी दी जा सकेगी, जबकि 20 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव के लिए कैबिनेट से मंजूरी लेनी होगी।

विकास आयुक्त होंगे एसआईपीबी के अध्यक्ष : राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद का अध्यक्ष विकास आयुक्त को बनाया गया है। अब पर्षद की बैठक हर माह या जरूरत हुई तो तो 15 दिनों में दिनों में भी आयोजित की जा सकती है। विकास आयुक्त को 2.5 करोड़ रुपए तक के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी देने का अधिकार दिया गया गया है। प्रस्ताव के अनुमोदन देने के लिए भी समय सीमा का निर्धारण किया है। उन्हें 15 दिन के अंदर निवेश प्रस्ताव पर निर्णय लेना होगा। निवेश के प्रस्तावों का अनुमोदन और क्लियरेंस प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन प्रणाली का इस्तेमाल किया जाएगा, इस काम के लिए भी समय सीमा रखी गई है।

10 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव का भी 30 दिनों में होगा निबटारा : औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2016 के तहत 10 करोड़ रुपए तक के निवेश प्रस्ताव को उद्योग मंत्री अपने स्तर पर मंजूरी दे सकते हैं। लेकिन, जैसे ही इसकी सीमा 10 करोड़ से आगे बढ़ेगी तो वित्त मंत्री की सहमति भी जरूरी होगी। ऐसे निवेश प्रस्ताव पर 15 दिनों के अंदर उद्योग मंत्री अपनी सहमति देंगे और उसके बाद यह प्रस्ताव वित्तमंत्री के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। दोनों की संयुक्त सहमति से ही 10 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी। **(साभार : दैनिक भास्कर, 9.1.2017)**

कपड़ा उद्योग पर टिकी बिहार की नजर

बिहार सरकार अब राज्य में कपड़ा उद्योग में निवेश आकर्षित करने की कवायद कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने इस उद्योग को ज्यादा रियायतें और सुविधाएं देने का फैसला लिया है। राज्य सरकार ने इस उद्योग को अपनी प्राथमिकता सूची में शामिल भी किया है, जिसके तहत इन्हें दूसरे उद्योगों की तुलना में ज्यादा रियायतें मिलेंगी। राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में निवेशकों की उनकी लागत का 30 फीसदी रकम ब्याज अनुदान के रूप में देने का फैसला लिया है। इसके अलावा उद्योग विभाग की ओर से उद्यमियों को उनके निवेश का शत प्रतिशत के बराबर कर प्रतिपूर्ति भी होगी। राज्य सरकार ने इस उद्योग के लिए खास तौर पर जमीन का प्रावधान भी किया है। उद्योग विभाग के मुताबिक इन रियायतों से राज्य में कपड़ा उद्योग को आगे बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी।

उद्योग विभाग के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ ने बिज़नेस स्टैंडर्ड की बताया, 'राज्य सरकार इस उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए हर मुमकिन मदद के लिए तैयार हैं। इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए सारी अनुकूल परिस्थितियाँ बिहार में हैं। यहाँ निफ्ट है, कारीगरों की बड़ी तादाद है, रेशम है और सूत भी बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। इसके अलावा, बिहार से कोई भी कंपनी पूर्वोत्तर और मध्य भारत के बाजार तक आसानी से पहुँच सकती है। हमने अपनी नीतियों को पूरी तरह से पारदर्शी बना दिया है। अब जरूरत है उद्यमियों की, जो बिहार में आकर निवेश करेंगे।' उनके मुताबिक बीते हफ्ते विभाग ने इस क्षेत्र में निवेश के लिए उद्यमियों को आमंत्रित किया था, जिस बाबत अब तक विभाग को 4,000 से ज्यादा

आवेदन मिल चुके हैं। कई बड़ी कंपनियाँ भी राज्य में निवेश को लेकर उत्साहित हैं।

उद्योग विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस बारे में जमीन की आसान उपलब्धता से निवेशकों की रुचि बढ़ी है। उद्योग विभाग के अधिकारियों ने बताया, 'हमने खास तौर पर इस उद्योग के लिए जमीन का इंतजाम किया है। बिहटा स्थित मेगा इंडस्ट्रीयल पार्क में 25 एकड़ इस उद्योग के लिए चिह्नित किए गए हैं। इसके अलावा, हमने दूसरे औद्योगिक पार्कों में भी कुछ जमीन इस उद्योग के लिए रखने का फैसला किया है।' **(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4.1.2017)**

सरकार 11 पुराने जिलों का गजेटियर निकालेगी

राज्य के लोग अपने जिले का इतिहास जान सकेंगे। उन्हें अपने-अपने जिले का गजेटियर नए रूप में मिलेगा। राज्य सरकार ने सभी पुराने जिलों का गजेटियर फिर से प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। ये गजेटियर या तो लुप्त हो चुके हैं या आम लोगों की पहुँच से बाहर हैं। इनकी प्रति सिर्फ सरकार के पास है या फिर जिला कलेक्ट्रेट में उपलब्ध है। कुछ प्रति राजस्व एवं भूमि सुधार, विभाग के पास भी है। ये पूरी तरह विलुप्त न हो जाएँ, इसके पहले सरकार इन्हें पुनर्प्रकाशित करना चाहती है।

गजेटियर में होगा जिले का संपूर्ण इतिहास : राज्य सरकार के निर्देश के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य के सभी पुराने 11 जिलों का गजेटियर प्रकाशित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। बिहार राज्य के गठन के समय प्रदेश में 11 जिले ही थे। इनमें भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, चंपारण, गया, दरभंगा, मुंगेर, शाहाबाद, सहरसा और सारण शामिल हैं। बाद में इनसे नए-नए जिले बनते गए। इस समय राज्य में 38 जिले हैं। ये सभी पहले पुराने 11 जिलों के हिस्सा थे। राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित गजेटियर में जिले का संपूर्ण इतिहास रहेगा। इनमें जिले की भौगोलिक विवरण के साथ कृषि राजस्व, जमीन आदि की भी विस्तार से जानकारी होगी। इसके अलावा क्षेत्र के संसदीय इतिहास की भी जानकारी होगी। **(साभार : दैनिक भास्कर, 9.1.2017)**

उद्योग की व्याख्या करेगा बड़ा संविधान पीठ

भले ही आम लोगों की नजर में 'उद्योग' शब्द के मायने को लेकर कोई भ्रम न हो लेकिन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश करीब 40 साल से औद्योगिक विवाद अधिनियम की व्याख्या की कोशिश में लगे हुए हैं लेकिन अब तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। हाल ही में न्यायालय के सात सदस्यीय संविधान पीठ ने उद्योग शब्द की व्याख्या से जुड़े उत्तर प्रदेश बनाम जयवीर सिंह वाद को नौ सदस्यीय पीठ के सुपुर्द कर दिया है। पहली बार उद्योग शब्द की व्याख्या का मुद्दा बेंगलुरु पानी आपूर्ति मामले से चर्चा में आया था। अधिकारियों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत हासिल अधिकारों से कर्मचारी को वंचित कर दिया था। इस मामले पर 1978 में आए फैसले में कहा गया था कि जल आपूर्ति बोर्ड कोई मुनाफा कमाने वाला निकाय नहीं है लिहाजा वहाँ पर यह कानून लागू नहीं होगा। स्वैच्छिक संगठनों और न्यासों ने भी अपने कर्मचारियों की मांगों के प्रति इसी तरह का रवैया दिखाया। उस समय आए फैसले को लेकर बाद के न्यायाधीश कई मौकों पर नाखुशी जताते रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश बनाम जयवीर सिंह मामले में भी इस मुद्दे को उठाया गया तो उच्चतम न्यायालय के सात न्यायाधीशों के पीठ ने इसे संविधान पीठ के सुपुर्द करना ही बेहतर समझा। अब संविधान पीठ के नौ न्यायाधीश इस कानून की व्याख्या कर उद्योग शब्द को परिभाषित करने की कोशिश करेंगे। **(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 9.1.2017)**

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए होगा सर्वे

बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को अधिक-से-अधिक बढ़ावा मिलेगा। खाद्य प्रसंस्करण इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देने के लिए उद्योग विभाग 38 जिलों में सर्वेक्षण करायेगा। सर्वेक्षण पर विभाग सात करोड़ रुपये खर्च करेगा। सर्वेक्षण के लिए विभाग ने पाँच संस्थानों के साथ एमओयू किया है। पाँचों संस्थान फूड प्रोसेसिंग उद्योगों की सफलता के लिए अध्ययन रिपोर्ट भी जारी करेगा। उद्योग विभाग ने बिहार में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की संख्या दोगुना करने का लक्ष्य तय किया है। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत सूबे में उद्योग लगाने को उद्योग विभाग अनुदान देता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए मेकेनिकल, प्रिंटिंग, आयरन, कार-स्कूटर और फूड प्रोसेसिंग उद्योगों को अनुदान मिलता है। नयी औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत उद्योगों को हर हाल में चालू रखने के लिए कुछ संशोधन किये गये हैं। नयी नीति के बाद फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए सर्वाधिक आवेदन आये हैं। 151 फूड प्रोसेसिंग उद्योगों को उद्योग विभाग ने अनुदान दिये हैं। सर्वेक्षण में लगे संस्थान फूड प्रोसेसिंग के जागरुक उद्यमियों की पहचान तो करेगी ही, साथ-साथ उद्योगों के लिए उचित स्थान का चयन, तकनीकी स्रोत, बाजार लिंकेज, उद्योगों के लिए डीपीआर तैयार करने, प्रस्तावित फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए अनुदान स्वीकृति दिलाने और सरकार को योजनाओं के प्रभावकारी क्रियान्वयन के लिए परामर्श देगी।

(साभार : प्रभात खबर, 19.1.2017)

ओपन मार्केट में ढाई रुपए यूनिट मिल रही बिजली, आपसे 4.96 रुपए में कौन खरीदेगा

बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी अभी 3.97 रुपए प्रति यूनिट बिजली बेच रही है। कंपनी चाह रही है कि उसे 4.96 रुपए प्रति यूनिट मिले। इसके लिए उसने राज्य विद्युत विनियामक आयोग के समझ प्रस्ताव रखा है। आयोग इस पर निर्णय लेने के पहले जनसुनवाई कर रहा है। जनसुनवाई के दौरान कंपनी का पक्ष सुनने के बाद आयोग के अध्यक्ष शक्ति कुमार नेगी ने दो टूक कहा- ओपन मार्केट में दो से ढाई रुपए प्रति यूनिट बिजली मिल रही है। फिर आपकी बिजली 4.96 रुपए प्रति यूनिट कौन खरीदेगा?

पावर जनरेशन कंपनी की ओर से महाप्रबंधक वित्त अरविन्द कुमार ने कहा कि बरौनी बिजलीघर की यूनिट-7 से उत्पाटन शुरू हो गया है। यूनिट 6 से मार्च अंत तक, यूनिट 8 से जुलाई अंत तक और यूनिट 9 से सितम्बर अंत तक उत्पादन शुरू होगा। एजेंसी के कर्मचारी बिजलीघर को चला रहे हैं। इससे कंपनी को अतिरिक्त राशि खर्च करनी पड़ रही है। कोयले व ऑयल के दाम में भी लगातार उतार-चढ़ाव हो रहा है। इसकी भरपाई करने के लिए बिक्री दर बढ़ानी जरूरी है।

मांगा आमदनी-खर्च का ब्योरा : आयोग के अध्यक्ष शक्ति कुमार नेगी ने जेनरेशन कंपनी के अधिकारियों से ग्रांट, अपनी पूंजी और कर्ज का विस्तृत डाटा देने, प्लांट में किन-किन मशीनों की खरीदारी के साथ ही खरीदी गई अन्य सामग्रियों का विस्तृत डाटा जल्द जमा करने का निर्देश दिया। इस दौरान आयोग के सदस्य आर. के. चौधरी, राजीव अमित, सचिव परमानंद सिंह साहित आयोग और पावर जेनरेशन कंपनी के अधिकारी उपस्थित थे।

छह को पावर ट्रांसमिशन कंपनी को रखना है पक्ष : बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी, बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड और स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आयोग के समझ अलग-अलग प्रस्ताव दिया है। तीनों कंपनियों के प्रस्ताव पर बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग 6 फरवरी को जनसुनवाई करेगा। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने 545 करोड़, स्टेट लोड डिरपैच सेंटर ने 6 करोड़ 45 लाख और बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड ने 207 करोड़ वार्षिक राजस्व आवश्यकता के मद में राशि देने की मांग की है। पावर ट्रांसमिशन कंपनी ग्रिडों तक बिजली पहुँचाने के लिए लाइन बनाने के साथ मेंटेनेंस करती है। स्टेट लोड डिरपैच सेंटर उत्पादन करने वाली कंपनियों से समन्वय स्थापित कर सप्लाई दी जाने वाली बिजली का शेड्यूल तय करता है।

(साभार : दैनिक भास्कर, 25.1.2017)

बिजली कनेक्शन अब कुछ महीनों के लिए भी

विनियामक आयोग को सीजनल कनेक्शन का दिया प्रस्ताव

घरेलू या गैर घरेलू कनेक्शन में नियमित कनेक्शन की तर्ज पर लोगों को कुछ दिनों या महीनों के लिए भी बिजली कनेक्शन मिलेगा। लेकिन इसमें लोगों को सामान्य कनेक्शन से अधिक पैसे देने होंगे। बिहार विद्युत विनियामक आयोग को भेजे प्रस्ताव में नार्थ व साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने इसका उल्लेख किया है।

फसल से संबंधित कार्य के लिए किसान अक्सर कुछ महीने के लिए कनेक्शन लेते हैं। धान की कुटाई, गेहूँ की कटाई सहित अन्य छोटे-मोटे कामों के लिए भी सीजनल कनेक्शन लिया जाता है। कंपनी की ओर से सौंपे गए प्रस्ताव में कहा गया है कि अगर कोई तीन महीने के लिए सीजनल कनेक्शन लेता है तो

उसे सामान्य कनेक्शन की तरह पैसा देना होगा। लेकिन ऐसे उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 30 फीसदी अधिक पैसा देना होगा। अगर कोई तीन से छह महीने का सीजनल कनेक्शन लेना चाहिगा, तो उन्हें सामान्य कनेक्शन से 20 फीसदी अधिक टैरिफ देना होगा। छह से नौ महीने का कनेक्शन लेने वालों को सामान्य कनेक्शन से 15 फीसदी अधिक टैरिफ देना होगा। वहीं नौ महीने से अधिक लेकिन साल भर से कम अवधि के सीजनल कनेक्शन लेने वालों को सामान्य कनेक्शन शुल्क के अलावा पाँच फीसदी अधिक टैरिफ पर बिजली बिल देना होगा।

अभी लग रहा

उद्योग

एलटीएस-एक	5.50 प्रति यूनिट	एचटीएस-दो	5.65 प्रति यूनिट
एलटीएस-दो	5.85 प्रति यूनिट	एचटीएसएस-तीन	5.55 प्रति यूनिट
एचटीएस-एक	5.85 प्रति यूनिट	एचटीएसएस	3.25 प्रति यूनिट

05 से 30 फीसदी तक देना होगा अधिक किराया

खेती

ग्रामीण 20 रुपए प्रति हॉर्सपावर शहरी 160 रुपए प्रति हॉर्सपावर

(एलटीएस- लो टेंशन इंडस्ट्रियल, एचटीएस- हाई टेंशन सप्लाई)

एक अप्रैल से ही सकता है लागू : अगर कंपनी के इस प्रस्ताव पर आयोग की मुहर लगी तो इस साल एक अप्रैल के बाद यह आदेश लागू हो जाएगा। कंपनी अधिकारियों के अनुसार अभी सीजनल कनेक्शन को लेकर कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है। रेट तय होने के बाद सामान्य उपभोक्ता बिना परेशानी के तय दर पर कनेक्शन लेकर बिजली का उपभोग कर सकेंगे। **(सा०: हिन्दुस्तान, 19.1.2017)**

असंतुष्ट हों तो न दें होटल व रेस्तरां में सेवा शुल्क

खाने के बिल में लगने वाला सर्विस चार्ज अनिवार्य नहीं

रेस्तरां और होटल में जाने वाले ग्राहकों के लिए खुशखबरी। सरकार ने साफ किया है कि इनके खाने के बिल में लगने वाला सेवा शुल्क अनिवार्य नहीं है। सेवाओं से असंतुष्ट होने पर ग्राहक चाहें तो वे इस चार्ज को बिल से हटाने के लिए कह सकते हैं। अमूमन बड़े होटल और रेस्तरों के खाने के बिलों में सर्विस चार्ज भी जुड़ा होता है। अब से रेस्तरां या होटल जाएं तो इस बात पर जरूर ध्यान दें। केन्द्र सरकार ने राज्यों से यह भी कहा है कि वे सुनिश्चित करें कि होटल और रेस्तरां में सेवा शुल्क के बारे में यह जानकारी सूचनापट पर डिस्प्ले की गई हो। केन्द्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इस बाबत एक आधिकारिक बयान जारी किया है।

जानकारी : • सूचनापट पर डिस्प्ले हो सेवा शुल्क के बारे मैं यह जानकारी • उपभोक्ता मामले के मंत्रालय ने जारी किया आधिकारिक बयान

क्या हो रहा था : ग्राहकों से 'सर्विस चार्ज' वसूलने के संबंध में कई शिकायतें मिली हैं • टिप्स के एवज में 5 से 20 फीसद की रेंज में लिया जाता है • सेवा कैसी भी दी हो, होटल और रेस्तरां इसे उपभोक्ता से जबरन वसूल लेते हैं।

मंत्रालय ने मांगा जवाब : मंत्रालय ने होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया से इसको लेकर जवाब मांगा था। एसोसिएशन ने सफाई देते हुए मंत्रालय को बताया है कि सर्विस चार्ज पूरी तरह ग्राहकों के विवेक पर निर्भर है। खाने से असंतुष्ट होने पर वे बिल से इस शुल्क को हटवा सकते हैं। लिहाजा यह माना जाना चाहिए कि ग्राहक की स्वेच्छा से ही इसे ले सकते हैं।

फोरम से करें शिकायत : उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, 1986 के प्रावधानों को रेखांकित करते हुए मंत्रालय ने कहा है कि अगर किसी कंज्यूमर को अनुचित ढंग से पैसा देने के लिए मजबूर किया जाता है तो वह इसकी शिकायत कंज्यूमर फोरम से कर सकता है। देश में ज्यादातर ग्राहकों को इस बात की जानकारी नहीं है कि सर्विस चार्ज देने या नहीं देने का विकल्प उसके पास होता है। लिहाजा उन्हें रेस्तरां से इसके बारे में पूछना चाहिए।

(साभार : दैनिक जागरण, 3.1.2017)

रोजगार देने वाले उद्योगों को मिले छूट

केन्द्रीय उद्योग व वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण भले ही यह स्वीकार नहीं करे कि नोट बंदी से देश के कुछ उद्योगों में रोजगार के अवसरों में कमी आई है लेकिन उनका मानना है कि अगर जीएसटी को मौजूदा स्वरूप में लागू किया गया तो बड़े स्तर पर नौकरियाँ जा सकती हैं। यही वजह है कि सीतारमण के जीएसटी के दायरे से कुछ बड़े उद्योगों जैसे चमड़ा और सीमेंट के लिए प्रस्तावित शुल्क दरों में भारी बदलाव का समर्थन किया है। उन्होंने चमड़ा और बागवानी उद्योगों को पूरी तरह से जीएसटी के दायरे से बाहर रखने की मांग की है। जीएसटी परिषद के साथ बैठक में वाणिज्य व उद्योग मंत्री ने जो मांगें रखी हैं, उसे स्वीकार करने में वित्त मंत्रालय को खासी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। बैठक के बाद सीतारमण ने बताया कि चमड़ा उद्योग को जीएसटी के दायरे से पूरी तहत से अलग रखा जाना चाहिए। यह उद्योग सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा करता है। **(साभार : दैनिक जागरण, 4.1.2017)**

ईपीएफओ ने फर्मों और कंपनियों के लिए पेश की नई स्कीम

नियोक्ता एक रुपये का जुर्माना देकर करा सकेंगे कर्मचारियों का नामांकन, इस योजना का लाभ छोटी-बड़ी सभी कंपनियों व फर्मों को मिलेगा

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) उन फर्मों और कंपनियों के लिए खास योजना लेकर आई है, जिन्होंने ने अब तक अपने कर्मचारियों को ईपीएफओ के अंतर्गत नामांकन नहीं कराया है। इसको प्रोत्साहित करने के लिए यह संगठन एक जनवरी से तीन महीने का एक अभियान चलाने जा रहा है। इसके तहत वे कंपनियाँ या फर्में एक रुपये का जुर्माना देकर अपने कर्मचारियों को नामांकन करा पाएंगी, जिन्होंने अब ऐसा नहीं किया था।

ईपीएफओ के इस अभियान को एनरोल्मेंट एंड एस्टेब्लिशमेंट कवरेज कैंपेन 2017 नाम दिया गया है। इसके तहत ईपीएफओ सभी हितधारक-नियोक्ता, कर्मचारी संगठन और राज्यों के साथ बैठक आयोजित करेगा। यह प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) और प्रधानमंत्री परिधान रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमपीआरपीवाई) के लाभों को प्रचारित करेगा।

ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा : एक अधिकारी ने बताया कि इसके अलावा श्रमिकों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा इस अभियान का प्रमुख हिस्सा होगी। इसके तहत 31 मार्च तक के लिए तीन महीने की विशेष सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें न्यूनतम जुर्माने के साथ पिछली अवधि के लिए प्रतिष्ठान अंशदान का भुगतान कर सकेगा।

सदस्यता के लिए घोषणापत्र : योजना के मुताबिक इस पूरे अभियान के दौरान कोई भी नियोक्ता ईपीएफओ में सदस्यता हासिल करने के लिए घोषणापत्र भेज सकता है। ऐसा एक अप्रैल या एक अप्रैल, 2009 के बाद के वे कर्मचारी कर सकते हैं, जो एक जनवरी, 2017 तक भी इस संगठन के अंतर्गत नामांकित नहीं हुए हैं। इससे योजना के दोहरे उद्देश्य-नामांकन बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा को विस्तार देने की पूर्ति होगी। **(साभार : दैनिक जागरण, 4.1.2017)**

राज्य के बजट आकार में होगी 20 फीसदी की वृद्धि

अगले वित्तीय वर्ष 2017-18 में बिहार के बजट आकार में 20 फीसदी वृद्धि होने का अनुमान है। राज्य सरकार बजट को अंतिम रूप देने में जुट गई है। 27 फरवरी को वित्त मंत्री अब्दुलबारी सिद्दिकी विधान मंडल में बजट पेश करेंगे। वर्तमान वर्ष में बजट का आकार 1.45 लाख करोड़ रखा गया था। अगले साल यह 1.75 लाख करोड़ से अधिक का होने का अनुमान है। पिछले दस साल की तुलना करे तो राज्य के बजट आकार में छह गुना वृद्धि हुई है। वर्ष 2009 में 32 हजार 795 करोड़ का बजट बना था, जो अगले वर्ष एक लाख 75 हजार करोड़ से अधिक होगा। इसके अलावा बिहार में न सिर्फ योजना का आकार बढ़ा है, बल्कि कुल बजट में योजना के खर्च का प्रतिशत भी बढ़ा है। यह वृद्धि बताती है कि राज्य में गए निर्माण पर अधिक खर्च हो रहा है। 2005-06 में कुल बजट की 31.71 प्रतिशत राशि योजना मद में रखी गई थी, जो 2016-17 में 49 फीसदी हो गई है। अगले साल के बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली समेत सात निश्चय के तहत होने वाले कार्य प्राथमिकता में होंगे।

बजट पर विभिन्न पेश के लोग आज देंगे अपनी राय

वर्ष 2017-18 के बजट को लेकर विभिन्न पेशे से जुड़े लोगों की राय सरकार जानेगी। इसको लेकर वित्त विभाग ने अधिवेशन भवन में बैठक बुलायी है। इस बैठक में पटना, मगध और भागलपुर प्रमंडल के लोग रहेंगे सबकी राय

पिछले वर्षों का बजट			
वर्ष	कुल बजट (करोड़ों में)	वर्ष	कुल बजट (करोड़ों में)
2009-10	32,795	2013-14	80,404
2010-11	50,703	2014-15	1,16,886
2011-12	65,324	2015-16	1,20,685
2012-13	69,106	2016-17	1,44,696

2016-17 में पड़ोसी राज्यों का बजट

• झारखंड 63.50 हजार करोड़ • उत्तर प्रदेश 3.47 लाख करोड़ • पश्चिम बंगाल 1. 60 लाख करोड़

जानने के बाद सरकार आवश्यकतानुसार इसे अगले बजट में जगह देगी। वित्त मंत्री अब्दुलबारी सिद्दिकी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

बिहार को अपने स्रोतों से आय में हो रही निरंतर वृद्धि : बिहार को अपने स्रोतों से होने वाली आय में निरंतर वृद्धि हो रही है। 2015-16 में 28 हजार करोड़ की आय हुई थी। इस बार का लक्ष्य 32 हजार करोड़ से अधिक। पिछले वर्षों की बात करें तो 2010-11 में 10 हजार 800 करोड़, 2011-12 में 13 हजार 500 करोड़, 2012-13 में 17 हजार 400 करोड़, 2013-14 में 21 हजार 500 करोड़ और 2014-15 में 22 हजार 300 करोड की आय हुई थी।

(साभार : हिन्दुस्तान, 23.1.2017)

प्रश्न मंच

जी.एस.टी. पोर्टल में विद्यमान करदाताओं के नामांकन हेतु सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न

भाग-अ : सामान्य जानकारी

1. विद्यमान करदाता कौन है?

उ. निम्नलिखित अधिनियमों में से किसी अधिनियम में वर्तमान में पंजीयत करदाता विद्यमान करदाता है-

अ. केन्द्रीय उत्पाद

ब. सेवा कर

स. राज्य बिक्री कर / मूल्य संवर्धन कर (शराब व्यवसायियों को छोड़कर यदि पंजीयत हो)

द. प्रवेशकर

इ. विलासिता कर

फ. मनोरंजन कर (स्थानीय निकाय को छोड़कर)

2. जी. एस. टी. सिस्टम पोर्टल पर नामांकन (Enrollment) शब्द से क्या अभिप्राय है?

उ. जी.एस.टी. के अंतर्गत नामांकन "Enrollment" से आशाय वर्तमान करदाताओं द्वारा उपलब्ध जानकारी का सत्यापन एवं शेष जानकारियों को पूर्ण किए जाने से है।

3. क्या मेरे लिए जी.एस.टी. में नामाकंन आवश्यक है?

उ. प्रशन क्रं. 1 के अंतर्गत उल्लेखित अधिनियमों में से किसी भी अधिनियम में पंजीयत विद्यमान करदाता जी.एस.टी. में चले जाएंगे। जी.एस.टी. के लिए नामांकन उनके जी. एस. टी. में जाने की प्रक्रिया को सहज करेगी। कर प्राधिकारियों के पास उपलब्ध जानकारी अधूरी होने से नामांकन किए जाने की योजना बनाई गई। यह जी. एस. टी. डेटा बेस में बिना किसी संशोधन प्रक्रिया के अद्यतन नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चि करेगा। चूँकि वर्तमान कर विधान के तहत जानकारी का अद्यतन एवं नवीनतम होना वैधानिक दृष्टि से भी आवश्यक है।

4. मुझे जी.एस.टी. पोर्टल में स्वंय को एक उपयोगकर्ता के रूप में नामांकन कराना क्यों आवश्यक है?

उ. चूँकि जी.एस.टी. सिस्टम में कागजी नामांकन की अनुमति नहीं होगी इसी उद्देश्य के लिए जी.एस.टी. पोर्टल सिस्टम बनाया गया है। आपको जी.एस.टी. पोर्टल में नामांकन करना आवश्यक है जिससे कि आप एक पंजीयत व्यवसायी के रूप में जी.एस.टी. की वांछित आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगे।

5. जी.एस.टी. पोर्टल पर कब नामांकन कराने की आवश्यकता होगी?

उ. प्रश्न क्रं. 1 के अंतर्गत उल्लेखित अधिनियमों में से किसी भी अधिनियम में पंजीयत वर्तमान करदाता को जी.एस.टी. पोर्टल पर नामांकन करना आवश्यक है। राज्य वैट एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग जी.एस.टी. सिस्टम पोर्टल की योजना अनुसार अक्टूबर 2016 से जी.एस.टी. पोर्टल पर नामांकन प्रारंभ कर सकेंगे। सेवा कर में पंजीयत करदाताओ का नामाकंन बाद की तिथियों में होगा जो कि पृथक से सूचित कर दिया जावेगा।

6. क्या जी.एस.टी. सिस्टम पोर्टल पर स्वतः नामांकन की कोई व्यवस्था है?

उ. नहीं, जी.एस.टी. सिस्टम पोर्टल पर स्वतः नामांकन की व्यवस्था नहीं है। प्रश्न क्रं 1 के अंतर्गत उल्लेखित अधिनियमों में से किसी भी अधिनियम में पंजीयत सभी करदाताओं से अपेक्षा है कि वे जी.एस.टी. पोर्टल पर जाए और स्वयं को नामांकित करें।

7. क्या जी.एस.टी. सिस्टम पोर्टल पर नामांकन के लिए किसी प्रकार की फीस अथवा शुल्क देय है?

उ. नहीं, जी.एस.टी. सिस्टम पोर्टल पर करदाताओं के नामांकन के लिए कोई फीस अथवा शुल्क देय नहीं है।

8. क्या प्रश्न क्रमांक 1 में उल्लेखित अधिनियमों के लिए केन्द्र/राज्य/ संघ शासित क्षेत्र के लिए करदाताओं को अलग से नामांकन कराना होगा?

उ. नहीं प्रश्न क्रमांक 1 में उल्लेखित अधिनियमों के लिए केन्द्र / राज्य / संघ शासित प्रदेश के पंजीयत करदाताओं के लिए नामांकन प्रक्रिया एक है।

9. क्या जी.एस.टी. के अंतर्गत करदाताओं के केन्द्र और राज्य प्राधिकारियों से अलग-अलग नामांकन लिया जाना आवश्यक होगा?

उ. नहीं, कोई भी व्यक्ति जो जी.एस.टी. के अंतर्गत नामांकन चाहता हो उसे जी.एस.टी. सिस्टम पोर्टल पर आवेदन करना है। जी.एस.टी. के अंतर्गत नामांकन दोनों केन्द्र और राज्य जी.एस.टी. के लिए एक ही पंजीयन, एक ही रिर्टन और एक ही चालान रहेगा।

10. तात्कालिक आई. डी. (Provisional ID) का फॉरमेट क्या होगा?

उ. तात्कालिक आई.डी. के लिए 15 डिजिट का फॉरमेट है। जिसकी प्रथम 2 डिजिट राज्य का कोड है। अगली दस डिजिट करदाता का पेन नं. 13वीं डिजिट किसी राज्य में एक ही पेन नं. पर पंजीयनों की संख्या को प्रदर्शित करेगा। 14वीं डिजिट एक डिफाल्ट अल्फाबेट होगा। अंतिम एवं 15वीं डिजिट चैक सम डिजिट होगी जिससे तत्कालिक आई.डी. को कोड किया गया है।

Format of GSTIN 23AAAAA0000A1Z5
'23' - State code
'AAAAA0000A' - Permanent Account Number (PAN)
'1' - Entity number of the same PAN holder in a state
'Z' - Alphabet 'Z' by default
'5' - Check sum digit

11. जी.एस.टी. में नामांकन प्रारंभ करने से पहले मेरे पास क्या जानकारियाँ उपलब्ध होना चाहिए?

उ. जी.एस.टी. पोर्टल में नामांकन करने से पूर्व निम्मलिखित जानकारियाँ/ दस्तावेज आपके पास होना सुनिश्चित कर लें:

1. राज्य/ केन्द्रीय प्राधिकारियों से प्राप्त तत्कालिक आई. डी.
2. राज्य/ केन्द्रीय प्राधिकारियों से प्राप्त पासवर्ड
3. वैध ई-मेल
4. वैध मोबाईल नंबर
5. बैंक खाता संख्या
6. बैंक आई. एफ. एस. सी. कोड (IFSC CODE) दस्तावेज:

अ. व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण-

1. पार्टनरशीप की स्थिति में पार्टनरशीप डीड (अधिकतम 1 एम. बी. साईज में PDF और JPEG फॉरमेट में)।

2. अन्य स्थिति में व्यवसाय के पंजीयन का प्रमाण-पत्र (अधिकतम 1 एम. बी. साईज में PDF और JPEG फॉरमेट)

ब. प्रमोटर/ पार्टनर / एच. यू. एफ. कर्ता की फोटो (अधिकतम 100 केबी साईज में JPEG फॉरमेट में)।

स. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की नियुक्ति का प्रमाण (अधिकतम 1 एम. बी साईज में PDF और JPEG फॉरमेट में)।

द. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का फोटो (अधिकतम 100 केबी साईज में JPEG फॉरमेट में)।

ध. बैंक पास बुक का प्रथम पृष्ठ / बैंक स्टेटमेंट जिसमें बैंक खाता संख्या, ब्रांच का पता, खाता धारक का पता और कुछ ट्रांजेक्शन की जानकारी हो। (अधिकतम 1 एम. बी. साईज में PDF और JPEG फॉरमेट में)।

भाग- ब- सिस्टम से संबंधित जानकारी

12. प्रथम बार लॉगिन के दौरान मुझे कौन-सा यूजर नेम देना होगा। क्या मैं राज्य पंजीयन के लॉगिन में उपयोग किए गए यूजर नेम और पासवर्ड का उपयोग कर सकता हूँ?

उ. प्रथम बार लॉगिन के दौरान आपको राज्य वैट / केन्द्रीय विभाग से प्राप्त यूजर

नेम और पासवर्ड का उपयोग करना अनिवार्य है। बाद में लॉगिन करने के लिए आपको वह यूजर नेम और पासवर्ड प्रविष्ट करना होगा जो कि आपके द्वारा जी. एस. टी. पोर्टल पर नामांकन के दौरान बनाया गया है।

13. प्रथम बार लॉगिन के बाद मुझे कौन सा यूजर आईडी चुनना होगा?

उ. आप अपनी पंसद का कोई भी यूजर आई. डी. चुन सकते हैं यद्यपि पंजीयन के दौरान वह डेटाबेस में उपलब्ध हो।

14. मुझे जी. एस. टी. में नामांकन के लिए मेरा यूजर नेम और पासवर्ड प्राप्त नहीं हुआ है। मुझे क्या करना होगा?

उ. आप यूजर नेम और पासवर्ड प्राप्त न होने की स्थिति में अपने क्षेत्राधिकार के राज्य/ केन्द्रीय प्राधिकारियों से संपर्क करें।

15. क्या जी.एस.टी. के नामांकन के समय अपने कर सलाहकार का ई-मेल ऐड्रेस व मोबाईल नंबर दिया जा सकता हैं।

उ. नहीं, आपको अपने कर-सलाहकार या अन्य किसी व्यक्ति का ई- मेल ऐड्रेस व मोबाईल नंबर नही देना चाहिए आपको अपने द्वारा नियुक्त प्राथमिक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता या आपके स्वंय का ही ई-मेल ऐड्रेस देना है। जी.एस.टी. सिस्टम पोर्टल से भविष्य में होने वाले समस्त पत्र-व्यवहार/जानकारियां आपके पंजीयत ई-मेल ऐड्रेस व मोबाईल नंबर पर ही भेजी जाएगी।

जी.एस.टी. सिस्टम द्वारा कर-सलाहकारों को अलग से यूजर आई.डी. पासवर्ड दिए जाएंगे जिसमें वे अपना ई-मेल ऐड्रेस व मोबाईल नंबर दे सकते हैं।

16. प्राथमिक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता कौन हो सकते है?

उ. प्राथमिक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता वह व्यक्ति है जो करदाता की ओर से जी. एस. टी. पोर्टल पर कार्य करने के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है। करदाता से संबंधित सभी जानकारियाँ उसे ही भेजी जाऐगी। उदाहरण के लिए प्रोपराईटर की स्थिति में प्रोपराईटर स्वयं, पार्टनरशीप की स्थिति में कोई भी पार्टनर या अन्य अधिकृत व्यक्ति, कंपनी/ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशीप (एल. एल. पी) संस्था, ट्रस्ट की स्थिति में संचालक मंडल या बोर्ड द्वारा अधिकृत व्यक्ति प्राथमिक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य कर सकता है। अधिकार-पत्र की छाया प्रति अपलोड की जाना आवश्यक है।

एक ही व्यवसाय के लिए कई अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की स्थिति में एक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को प्राथमिक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता घोषित किया जाना चाहिए और उसका ई-मेल ऐड्रेस व मोबाईल नंबर नामांकन के समय दिया जाना होगा। एक व्यवसाय के लिए एक ही अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की स्थिति में उस व्यवसाय के लिए उसे ही प्राथमिक हस्ताक्षरकर्ता माना जाएगा।

17. वन टाईम पासवर्ड (ओ. टी. पी.) कब तक वैध रहेगा?

उ. आपको आपके ई-मेल ऐड्रेस व मोबाईल नंबर पर भेजा गया ओ.टी.पी. 15 मिनट के लिए वैध रहेगा। 15 मिनट के बाद इसकी वैधता समाप्त हो जाएगी।

18. मुझे अपने मोबाईल पर ओ. टी. पी. प्राप्त नहीं हुआ है। मुझे क्या करना चाहिए?

उ. आपका ओ.टी.पी. जी.एस.टी. सिस्टम पोर्टल पर पंजीयत ई-मेल ऐड्रेस व मोबाईल नंबर पर भेजा जाएगा यदि आपको 15 मिनट के अंदर ओ.टी.पी. प्राप्त नहीं होता है तो आप रिसेंड ओ.टी.पी. बटन दबाकर इसे पुन: प्राप्त कर सकते हैं।

19. रिसेंड ओ. टी. पी. बटन दबाने के बाद भी मुझे ओटीपी प्राप्त नहीं होता है तो मुझे क्या करना होगा?

उ. रिसेंड ओ. टी. पी. बटन दबाने के बाद भी आपको एसएमएस के द्वारा ओटीपी प्राप्त नहीं होता है तो यह सुनिश्चित कर लें कि आपके द्वारा दिया गया मोबाईल नंबर सही है अथवा नहीं?

रिसेंड ओ.टी.पी. बटन दबाने के बाद भी आपके ई-मेल एड्रेस पर आपको ओ.टी.पी. प्राप्त नहीं होता है तो यह सुनिश्चित कर ले कि आपके द्वारा दिया गया ई-मेल सही है अथवा नहीं? साथ ही इन्टरनेट व मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध हो।

20. ई-मेल ऐड्रेस व मोबाईल नंबर के लिए मुझे 2 ओ. टी. पी. क्यों प्राप्त हो रहे होंगे?

उ. ई-मेल ऐड्रेस व मोबाईल नंबर पर ओ.टी.पी. उन्हें सत्यापित करने के भेजे जाऐंगे इसलिए 2 अलग-अलग ओटीपी भेजे जाएंगे। भविष्य में जी.एस.टी. पोर्टल से इन्हीं ई-मेल ऐड्रेस व मोबाईल नंबर पर पत्राचार किया जायेगा। इसीलिए ई-मेल ऐड्रेस व मोबाईल नंबर दोनों को सत्यापित करना आवश्यक है।

21. मुझे मोबाईल पर ओटीपी प्राप्त हुआ जिसे मैंने ओटीपी वैरीफिकेशन पेज पर ई-मेल ओटीपी व मोबाईल ओ. टी. पी. के लिए प्रविष्ट कराया है। क्या ये ओ. टी. पी. अलग-अलग होंगे?

उ. आपको ई-मेल ऐड्रेस व मोबाईल नंबर पर दो अलग-अलग ओ. टी. पी. प्राप्त होंगे। आपको ई-मेल पर प्राप्त ओटीपी को ई-मेल ओटीपी और मोबाईल पर प्राप्त ओटीपी को मोबाईल ओ. टी. पी. लिंक में भरना होगा। यदि आपने एक ही ओ. टी. पी. को ई-मेल ऐड्रेस व मोबाईल नंबर ओ. टी. पी. की फील्ड में भर दिया तो ईरर "Error" मैसेज के साथ आपका वेरिफिकेशन नहीं हो पायेगा।

22. जी. एस. टी. नामांकन के लिए नामांकन आवेदन में कौन सी जानकारी पहले से भरी होगी?

उ. आपकी उपलब्ध जानकारी के आधार पर नामांकन आवेदन में निम्नलिखित जानकारियाँ पहले से भरी होगी-

- व्यवसाय का पैन
- व्यवसाय का वैधानिक नाम
- राज्य
- पंजीयन लेने का कारण
- प्राथमिक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का ई-मेल ऐड्रेस व मोबाईल नंबर जो कि जी. एस. टी. पोर्टल पर नामांकन के दौरान भरा गया हो

23. नामांकन आवेदन में कुछ फिल्ड्स के पीछे लाल एस्टरिस्क चिन्ह (*) (asterisk) से क्या आशय है?

उ. लाल एस्टरिस्क चिन्ह (*) अनिवार्य फील्ड दर्शाता है। कोई भी फील्ड जो लाल एस्टरिस्क चिन्ह से चिन्हित है उसे नामांकन में आगे बढ़ने के लिए भरा जाना आवश्यक है।

24. क्या वैधानिक नाम, राज्य का नाम, नामांकन आवेदन में बदला जा सकता है?

उ. आप नामांकन आवेदन में दिखने वाले वैधानिक नाम, राज्य के नाम, और पैन को नहीं बदल सकते हैं। ये जानकारियाँ आपके वर्तमान राज्य अथवा केन्द्र की कर प्रणाली से आयी है।

25. राज्य का क्षेत्राधिकार कैसे जाना जा सकता है?

उ. आप अपना राज्य क्षेत्राधिकार जानने के लिए वैट पंजीयन प्रमाण-पत्र देखें। आपके वर्तमान वैट पंजीयन प्रमाण पत्र में दिया गया क्षेत्राधिकार ही आपके व्यवसाय का राज्य क्षेत्राधिकार है।

26. वार्ड/ सार्किल / सेक्टर कैसे जाना जा सकता है?

उ. आप अपना वार्ड/ सर्किल / सेक्टर जानने के लिए वैट पंजीयन प्रमाण पत्र देखें। आपके वर्तमान वैट पंजीयन प्रमाण पत्र में दिया गया वार्ड / सर्किल / सेक्टर ही आपका वार्ड / सर्किल / सेक्टर है।

27. केन्द्र का क्षेत्राधिकार कैसे जाना जा सकता है?

उ. यदि आप केन्द्रीय उत्पाद में पंजीयत है तो केन्द्र का क्षेत्राधिकार जानने के लिए पंजीयन प्रमाण पत्र देखें। यदि आप केवल वेट पंजीयत व्यवसायी है तो आपको केन्द्र का क्षेत्राधिकार आपके व्यवसाय के मुख्य-स्थान के पते के आधार पर पता करना होगा। आप सीबीइसी की वेबसाईट www.cbec.gov.in भी देख सकते है। (referURL-http://www.cbec.gov.in/resources//htdocs-cbec/deptt_offcr/cadre-restruct/cadre-restructgnotifications.pdf).

28. कोई भी दस्तावेज अपलोड नहीं होने पर क्या करना होगा?

उ. आप सबसे पहले इंटरनेट की कनेक्टिविटी चैक करें। आप यह भी सुनिश्चित करें कि आपके दस्तावेज पीडीएफ या जेपीईजी फॉरमेट में अधिकतम 1 एम. बी. साईज हो। फोटो की स्थिति में यह जेपीईजी 100 केबी की साईज में होना चाहिए।

29. फार्म भरते समय व्यवसाय की जानकारी के पेज पर मेरे द्वारा सभी जानकारी भर दी गई थी लेकिन अब वह सारी फिल्ड खाली दिख रही है। ऐसा क्यों हो रहा है?

उ. आपको प्रत्येक पेज में सभी प्रविष्टी करने के बाद उसे सेव (SAVE) करना आवश्यक है। पेज के नीचे सेव एंड कन्टीन्यु (Save & Continue) बटन दबाकर आप भरी गई जानकारी को सेव (save) करें। उसके बाद ही अन्य जानकारी भरने के लिए आगे बढ़ें।

30. डी.आई.एन. (DIN) क्या है?

उ. डी.आई.एन. (DIN) का पूरा नाम डायरेक्टर आयडेंटीफिकेशन नंबर, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा कंपनी के डायरेक्टर को दिया जाता है। अपना डी.आई.एन. (DIN) जानने के लिए कॉर्पोरेट मामलों के डी.आई.एन. (DIN) आवंटन पत्र देखे अथवा एमसीए पोर्टल www.mca.gov.in. पर जाए।

31. मेरे पास आधार नंबर नहीं है। क्या आधार नंबर दिया जाना आवश्यक नहीं है?

उ. नामांकन आवेदन भरने के लिए आधार नंबर आवश्यक नहीं है। हालांकि जी.एस.टी. पोर्टल पर नामांकन आवेदन जमा करते समय आपको डिजीटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट डी. एस. सी. (DSC) या आधार आधारित ई-साईनिंग की आवश्यकता

होगी।

32. व्यवसाय के मुख्य स्थान से क्या आशय है?

उ. किसी राज्य में स्थित वह प्राथमिक जगह जहाँ करदाता अपना व्यवसाय संचालित करता है। उसका व्यवसाय का मुख्य स्थान कहलाता है। सामान्यत: व्यवसाय का मुख्य स्थान वह होता है जहाँ व्यवसाय से संबंधित रिकार्ड और खाते रखे जाते हैं और जहाँ फर्म का मुखिया या कम से कम उच्च प्रबंधन के लोग बैठते हों।

33. व्यवसाय के अतिरिक्त स्थल से क्या आशय है?

उ. व्यवसाय का अतिरिक्त स्थल वह स्थान है जहाँ से व्यवसाय के मुख्य स्थान के अतिरिक्त करदाता राज्य के भीतर व्यवसाय संचालित करता है।

34. एच.एस.एन (HSN) और एस.ए.सी. (SAC) कोड क्या है?

उ. एच.एस.एन (HSN) का पूरा नाम हार्मोनाईज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति प्राप्त वस्तुओं के वगीकरण की एकरूपतापूर्ण प्रणाली है। एस.ए.सी. (SAC) का पूरा नाम सर्विस अकांउटिंग कोड है जो कि सी.बी.ई.सी. (CBEC) द्वारा सेवाओं के चयन के लिए अपनाया गया कोड है।

35. जी.एस.टी. पोर्टल पर नामांकन के दौरान कौन-से बैंक खाते की जानकारी भरनी होगी?

उ. जी.एस.टी. पोर्टल पर नामांकन के दौरान आपके व्यवसाय में उपयोग आने वाले बैंक खाते की जानकारी भरनी होगी।

36. मेरे एक से अधिक बैंक खाते है। क्या जी. एस. टी. पोर्टल पर नामांकन के दौरान उन्हें जोड़ा जा सकता है?

उ. आप जी.एस.टी. पोर्टल पर नामांकन के दौरान अधिकतम 10 बैंक खाते जोड़ सकते हैं।

37. क्या नामांकन के लिए डी. एस. सी. अनिवार्य है?

उ. कंपनियों, फॉरेन कंपनियों, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशीप, फॉरेन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशीप के नामांकन के लिए डी.एस.सी. (DSC) अनिवार्य है। अन्य करदाताओं के लिए डी. एस. सी. (DSC) ऐच्छिक है।

38. मेरा डी.एस.सी. जी.एस.टी. पोर्टल पर पंजीयत नहीं है। क्या नामांकन आवदेन अपंजीयत डी. एस. सी. के साथ जमा कराया जा सकता है?

उ. यदि आपका डी.एस.सी. जी.एस.टी पोर्टल पर पंजीयत नहीं है तो आप आवेदन जमा नहीं कर सकते। इसलिए आपको अपने डी. एस. सी. को जी. एस. टी. पोर्टल पर पंजीयत कराना आवश्यक है।

39. डी.एस.सी. जी.एस.टी. पोर्टल पर कैसे पंजीयत कराया जा सकता है?

उ. यदि आपके पास वैध डी.एस.सी. है तो आप जी.एस.टी. पोर्टल पर जाएँ और रजिस्टर युजर डी.एस.सी. लिंक दबाएं। डी.एस.सी. धारणकर्ता का पेन सीबीडीटी के डेटा-बेस के पैन से मिलान होना चाहिए। इसके बाद ही उपयोगकर्ता डी.एस.सी. को जोड़ सकता है। मात्र क्लास-2 अथवा क्लास- 3 डी.एस.सी. ही जी.एस.टी. पोर्टल पर पंजीयत हो सकते हैं।

40. ई-साइन क्या है? यह कैसे काम करता है?

उ. ई-साइन का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, जो कि किसी दस्तावेज पर डिजीटल साईन करने के लिए आधार-धारक को ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सेवा उपलब्ध कराता है। यदि उपयोगकर्ता इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करने के लिए ई-साईन सेवा का चयन करता है तो उसे निम्नलिखित प्रक्रिया करनी होती है: अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को अपना आधार नंबर प्रविष्ट करना होगा-

1. आधार नंबर सत्यापन के बाद जी.एस.टी. पोर्टल, यू.आई.डी.ए.आई. सिस्टम को ओ.टी.पी. भेजने के लिये निवेदन करता है।
2. यू.आई.डी.ए.आई. (UIDAI) सिस्टम आधार नंबर के साथ पंजीयत ई-मेल ऐड्रेस और मोबाईल नंबर पर ओ.टी.पी. भेजता है।
3. सिस्टम उपयोगकर्ता को ओ.टी.पी. डालने के लिए कहेगा। उपयोगकर्ता ओ.टी.पी. प्रविष्ट कर दस्तावेज जमा करेगा। इस तरह ई-साईन पूर्ण होता है।

41. क्या नामांकन आवेदन का कोई शुल्क लगता है?

उ. नहीं, जी.एस.टी. पोर्टल पर आवेदन जमा करने का कोई भी शुल्क देय नहीं है।

42. ए. आर. एन. (ARN) क्या है?

उ. ए.आर.एन. (ARN) का पूरा नाम एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है जो कि ई-साईन (E-Sign) या डिजीटल सिग्नेचर युक्त नामांकन आवेदन जमा करने के बाद जारी होता है। यह एक युनिक नंबर होता है जो जी.एस.टी. पोर्टल से प्रत्येक ट्रांजेक्शन पूर्ण होने पर जारी किया जाता है। इसे जी.एस.टी. के साथ भविष्य में होने वाले पत्र-व्यवहार में उपयोग में लाया जा सकता है। इसलिए इसे नोट कर लेना चाहिए।

43. ए. आर. एन. (ARN) का फॉरमेट क्या है?

उ. यह 15 डिजीट का नंबर होता है प्रथम 2 डिजीट अल्फाबेट है अगली 2 डिजीट राज्य का कोड है उसके बाद की अगली 2 डिजीट आवेदन का महीना है अगली 2 डिजीट आवेदन का वर्ष, अगली 6 डिजीट सिस्टम द्वारा जारी कोड है। अंतिम एवं 15-वीं डिजीट चैक सम कोड है।

Format of ARN
AA 0707160000001
'AA' - Alphabets
'07' - State Code
'07' - Month
'16' - Year
'000000' - Six digit system generated code
'1'- Check sum digit

44. मैं केन्द्रीय उत्पाद/ सेवाकर राज्य वेट विधान के अंतर्गत पंजीयत करदाता हूँ। मेरे द्वारा मॉडल जी.एस.टी. विधान के तहत् निर्धारित आवेदन जी.एस.टी. एन. द्वारा वांछित जानकारी सहित जमा करा दिया गया है। अब आगे क्या होगा?

उ. जी.एस.टी. सिस्टम पोर्टल पर नामांकन आवेदन जमा करने के बाद ए.आर.एन. जारी होगा आप इस ए आर एन उपयोग अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए कर सकते हैं।

45. मुझे अभी तक ए. आर. एन. प्राप्त नहीं हुआ है। मुझे क्या करना चाहिए? ए. आर. एन. प्राप्त न होने पर क्या करना होगा?

उ. यदि आपको 15 मिनट के भीतर ए. आर. एन. (ARN) प्राप्त नहीं होता है तो आपको आगे की कार्यवाही के लिए विस्तृत निर्देशों सहित सिस्टम द्वारा एक ई-मेल भेजा जाएगा।

46. जानकारी भरते समय इन्टरनेट कनेक्शन हट गया था। अब में अपने सेव (SAVE) किए नामांकन फार्म को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? या सेव नामांकन फार्म को पुन: कैसे प्राप्त कर सकते हैं?

उ. आपके द्वारा सेव नामांकन फार्म को पुन: प्राप्त करने के लिए आप वैध क्रिडेंशल के साथ जी. एस. टी. सिस्टम पोर्टल पर लॉगिन करें। उसके बाद डेश बोर्ड में माय सेव्ड एप्लीकेशन मेन्यू में जाएँ, उसके बाद एडिट बटन दबाकर आपके द्वारा सेव नामांकन फार्म को पुन: प्राप्त कर सकते हैं।

47. पैन सत्यापन के दौरान मुझे मिसमैच का एक ई-मेल प्राप्त हुआ है। अब मुझे क्या करना चाहिए? या पैन मिसमैच होने पर क्या करना होगा?

उ. आप जी. एस. टी. सिस्टम पोर्टल पर लॉगिन करें और आपके पैन से संबधित जानकारी भरकर अपने नामांकन आवेदन को पुन: जमा करें।

48. मेरे डी. एस. सी. (DSC) की वैद्यता समाप्त हो चुकी है अथवा जी. एस. टी. सिस्टम से पंजीयन रद्द हो चुका है? मुझे क्या करना चाहिए? या डी. एस. सी. की वैद्यता समाप्त होने पर क्या करना होगा?

उ. आपको जी.एस.टी. पर अपने वैद्य डी.एस.सी. को पुन: पंजीयत करना होगा। वैद्य क्रेडेंशियल के साथ जी.एस.टी. सिस्टम पर लॉगिन करें। डेश-बोर्ड पर जाएँ उसके बाद रजिस्टर/अपडेट डी.एस.सी. में जाएँ। एक डी.एस.सी. समाप्त हो जाने की स्थिति में अन्य वैध डी.एस.सी. को जी.एस.टी. पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा।

49. क्या कोई हेल्प डेस्क सुविधा उपलब्ध होगी?

उ. हाँ, हेल्प डेस्क सुविधा उपलब्ध रहेगी जो कि जी. एस. टी. सिस्टम पर प्रदर्शित होगी– भाग-ग निर्धारित तिथि के बाद की गतिविधियाँ।

50. क्या नामांकन के आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है?

उ. हाँ, यदि आपके द्वारा डी.एस.सी. या ई-साइन द्वारा नकली अथवा गलत दस्तावेज अपलोड किए गए हों तब जी.एस.टी. पोर्टल पर आपके नामांकन का आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है, यद्यपि आवेदक को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जायेगा जहाँ आवेदक करदाता अपनी बात रख सकता है।

51. क्या मैं नामांकन आवेदन जमा करने के बाद उसमें संशोधन कर सकता हूँ ?

उ. नियत तिथि से आप जमा किए गए नामांकन आवेदन में संशोधन कर सकते हैं।

52. क्या में नामांकन के समय दिया गया मोबाईल नंबर व ई- मेल ऐड्रेस बदल सकता हूँ ?

उ. आप नियत तिथि के बाद से संशोधन प्रक्रिया के तहत नामंकन आवेदन के समय मोबाईल नबंर व ई-मेल आईडी को बदल सकते हैं।

53. मुझे तत्कालिक पंजीयन प्रमाण पत्र कब मिलेगा?

उ. नियत तिथि को यह आपके डेश-बोर्ड पर उपलब्ध होगा यद्यपि आपके द्वारा नामांकन आवेदन सफलतापूर्वक भरा गया हो।

54. अंतिम पंजीयन प्रमाण पत्र कब प्राप्त होगा?

उ. नियत तिथि के बाद केन्द अथवा राज्य से संबधित क्षेत्राधिकार वाले उचित अधिकारी द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन 6 माह के भीतर होने के बाद अंतिम पंजीयन प्रमाण पत्र उपलब्ध होगा। भाग द–अन्य

55. मेरे एक राज्य में एक ही पैन पर कई व्यवसाय है। क्या मुझे प्रत्येक व्यवसाय के लिए जी. एस. टी. में अलग से नामाकंन करना होगा?

उ. एक पैन पर एक राज्य में एक जी. एस. टी. पंजीयन की अनुमति है अत: आप पहले अपने एक व्यवसाय को पंजीयत करवा लें। राज्य के भीतर शेष व्यवसायों के लिए आप अपने क्षेत्राधिकार के अधिकारियों से संपर्क करें।

56. आई. एस. डी. (ISD) पंजीयन क्या है?

उ. आई. एस. डी. (ISD) का पूरा नाम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है यह ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने हैड आफिस से सम्बंधित शाखाओं में उपयोग होने वाली सेवाओं की इनपुट क्रेडिट उन शाखाओं में ही बांट देता है जहाँ वास्तव में जिस अनुपात में ये सेवाएं प्रदान की गई होती है, जबकि इन सेवाओं का टैक्स इनवाईस हैड ऑफिस के नाम जारी होता है तथा संपूर्ण ITC भी हैड आफिस में ही सृजित होता है। यहाँ पर टैक्स इनवाइस से आशय मॉडल जी.एस.टी. की धारा 23 के अंतर्गत जारी इनवाइस से है। यदि आप वर्तमान में आई.एस.डी. (ISD) करदाता है तो आपको उस राज्य में जहाँ आप पंजीयन लेना चाहते हैं, जी. एस. टी. पोर्टल पर नवीन आवेदन करना होगा। साथ ही केन्द्र के अधिकार क्षेत्र के अधिकारियों को सूचना देना होगा।

(साभार : टैक्स पत्रिका, जनवरी 2017)

GOOD NEWS

1. Supreme Court has announced now that any person who meets with road accidents can be taken to a nearby hospital immediately.
Hospital must not ask for police report to admit him/her, it's Dr's duty to provide first aid. Police can be informed later.
2. Railway authorities have introduced a system where one can complain from a running train. The SMS about complaint will be acknowledged & attended.
Give the train no, bogie no,precise nature of complaints like -no water in bath room/no lights/fan not working/security problem etc through SMS. It is an effective tool. The railway complaint SMS No. is **8121281212**.
3. If you see children Begging anywhere in INDIA, please contact: "RED SOCIETY" at 9940217816. They will help the children for their studies.
4. Where you can search for any BLOOD GROUP, you will get thousands of donor addresses. www.triendstosupport.org
5. Free Education and Free hostel for Handicapped/ Physically Challenged children. Contact 9842062501 & 9894067506.
6. If anyone met with fire accident or people born with problems in their ear, nose and mouth can get free PLASTIC SURGERY done by Kodaikanal PASAM Hospital. By German Doctors. Everything is free. Contact : 045420-240668, 245732" Helping Hands are Better than Praying Lips"
7. If you find any important documents like Driving license, Ration card, Passport, Bank Pass Book, etc., missed by someone, simply put them into any near by Post Boxes. They will automatically reach the owner and Fine will be collected from them.
8. It costs 38 Trillion dollars to create OXYGEN for 6 months for all I Human beings on earth. "TREES DO IT FOR FREE" "Respect them and Save them"
9. Special phone number for Eye bank and Eye donation: 04428281919 and 04428271616 (Sankara Nethralaya Eye Bank). For More information about how to donate eyes plz visit this site. http://ruraleye.org
10. Heart Surgery free of cost for children (0-10 yr) Sri Valli Baba Institute Banglore-10. Contact : 9916737471
11. Medicine for Blood Cancer!!!! 'Imitinef Mercilet' is a medicine which cures blood cancer. It's available free of cost at "Adyar Cancer Institute in Chennai". Create Awareness. It might help someone. Cancer Institute in Adyar, Chennai. Category: Cancer.

Address : East Canal Bank Road, Gandhi Nagar, Adyar, Chennai - 600020, **Landmark :** Near Michael School, Phone: 044-24910754 044-24911526/22350241 **(Source : Social Media)**

मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मोतिहारी की गतिविधियाँ

मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री संजय कुमार लोहिया द्वारा प्रेषित मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अप्रैल, 2016 से जनवरी, 2017 तक की गतिविधियाँ निम्नानुसार है :-

1 नगर में बढ़ रही अपराधिक घटनाओं के संदर्भ में चैम्बर के संस्थापक अध्यक्ष के नेतृत्व में आरक्षी अधीक्षक महोदय से एक शिष्टमंडल दिनांक 2 अप्रैल को मिला एवं एक स्मार-पत्र द्वारा कई सुझाव दिये गये।

2 10 अप्रैल को चैम्बर का वार्षिक एवं पदस्थापन समारोह स्थानीय बी० के० गार्डेन में बड़े ही भव्य एवं शानदार तरीके से आयोजित किया गया।

3 16 अप्रैल को चैम्बर पदाधिकारियों की एक विशेष बैठक हुई जिसमें मधुबन के चावल व्यवसायी रामचन्द्र प्रसाद की अपराधियों द्वारा की गयी नृशंस हत्या पर गहरा शोक प्रकट करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी गयी।

4 17 अप्रैल को अध्यक्ष, महासचिव एवं संस्थापक अध्यक्ष द्वारा मधुबन जाकर चावल व्यवसायी स्व० रामचन्द्र प्रसाद के शोकाकुल परिवार के साथ मिलकर शोक संवेदना एवं सांत्वना दी गयी। मधुबन व्यवसायी संघ के पदाधिकारियों ने भी इसमें सहयोग दिया। चकिया के डी०एस०पी० से भी इस संदर्भ में बात की गयी।

5 15 मई को सत्रहवीं कार्यकारिणी की दूसरी बैठक का आयोजन किया गया जिसमें योग प्रशिक्षण शिविर एवं बैंक सर्वेक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गयी साथ ही चैम्बर बुलेटिन का अप्रैल-मई माह का अंक प्रकाशित करने की योजना को अंतिम रूप दिया गया।

6 18 मई को नगर परिषद द्वारा गठित वेंडर जोन कमिटी की बैठक में चैम्बर के प्रतिनिधि के रूप में श्री वीरेन्द्र जालान ने भाग लिया।

7 12 जून को चैम्बर की वर्त्तमान सत्र की तृतीय कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया एवं योग प्रशिक्षण शिविर, बैंक सर्वेक्षण कार्यक्रम, सदस्यता वृद्धि एवं प्रधान पथ पर पुरूष शौचालय निर्माण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर कार्ययोजना का निर्धारण किया गया।

8 15 जून को मोतीझील स्वच्छता अभियान समन्वय समिति द्वारा आहूत जिले के शीर्ष पदाधिकारियों की बैठक में अध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक की सशक्त सहभागिता।

9 21 जून को योग प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ ।

10 3 जुलाई को योग प्रशिक्षण शिविर का समापन।

11 10 जुलाई को सत्र की चतुर्थ कार्यकारिणी बैठक का आयोजन एवं चैम्बर संदेश के द्वितीय अंक के प्रकाशन, नगर में वृक्षारोपण एवं अर्द्धवार्षिक सभा आयोजन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर कार्ययोजना का निर्धारण।

12 1 दिसम्बर, 4 दिसम्बर, 8 दिसम्बर, 11 दिसम्बर और 17 दिसम्बर को 5 चरणों में कंबल एवं शॉल वितरण किया गया।

13 2 दिसम्बर से 5 दिसम्बर और 10 दिसम्बर से 15 दिसम्बर तक दो चरणों में GST पंजीकरण शिविर का आयोजन वाणिज्य-कर विभाग के साथ किया गया।

14 6 दिसम्बर को "Champaran Towards Cashless Awareness Summit" का आयोजन जागृति सभा के रूप में किया गया।

15 महात्मा गाँधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय एवं श्री देवराहा बाबा गुरूकुल आश्रम में 17 एवं 25 दिसम्बर को समारोहपूर्वक वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया।

16 1 जनवरी, 2017 को नववर्ष शुभारंभ कार्यक्रम में सुदूर गाँव में जाकर बेहद गरीब 200 बच्चों को उनके उपयोग की 14 वस्तुएँ पैकेट बनाकर वितरित की गयी।

17 8 जनवरी को चैम्बर परिवार के सम्मिलन हेतु सामूहिक बनभोज का भव्य आयोजन किया गया जिसमें लगभग 125 सदस्य एवं नगर विधायक, आयकर अधिकारी, जिला परिषद अध्यक्ष एवं एक पूर्व विधायक सपरिवार शामिल हुए।

18 15 जनवरी को द्वितीय आम सभा-सह-चुनाव सभा का आयोजन किया गया। जिसमें सत्र 2017-18 हेतु पदाधिकारियों का निर्वाचन किया गया, जो अप्रैल से कार्यभार संभालेंगे। श्रम विभाग के नये नियमों और प्रस्तावों की जानकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सदस्यों को दी गयी। नोटबंदी के बाद के वर्त्तमान परिदृष्य पर परिचर्चा कराई गयी जिससे संचित प्रमुख विचारों को माननीय प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री के अलावा स्थानीय सांसद-सह-कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री को भेजा।

19 18 जनवरी को चैम्बर पदाधिकारियों की एक टीम मुजफ्फरपुर जाकर बिहार सरकार के वित्त मंत्री द्वारा बजट हेतु सुझाव सभा में चैम्बर द्वारा व्यवसायियों के हित में महत्वपूर्ण सुझाव दिये।

चैम्बर ने पूर्व अध्यक्ष स्व० खेमचन्द चौधरी की पुण्य तिथि मनाई

स्व० खेमचन्द चौधरी के चित्र पर माल्यार्पण करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष स्व० खेमचन्द चौधरी की 42वीं पुण्य तिथि दिनांक 14 जनवरी, 2017 को चैम्बर प्रांगण में मनाई गयी। चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित कर स्व० खेमचन्द चौधरी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गयी।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि स्व० चौधरी एक स्पष्टवादी, निर्भीक और दयावान व्यक्ति थे। वे व्यापार, उद्योग एवं समाज की प्रगति हेतु सदैव समर्पित थे। उन्होने अपना जीवन परोपकार, सच्चाई एवं सादगी में व्यतीत किया। जीवनमरण सभी के साथ होता है परन्तु स्व० चौधरी ने समाज के लिए जो बलिदान व त्याग किया वही सबसे बड़ी बात है। व्यापार जगत की बात सरकार सुने इसके लिए वे जोरदार एवं निर्भीक प्रयास करते थे।

स्व० चौधरी की निर्भीकता का प्रमाण चैम्बर के 47वें वार्षिकोत्सव में उनके द्वारा दिया गया वह निर्भीकतापूर्ण भाषण है, जो बिहार ही नहीं, देश के सभी अखबारों में प्रमुखता से छपा था। उनके भाषण की प्रति आज भी चैम्बर की लाईब्रेरी में रखी हुई है।

स्व० चौधरी का आकस्मिक निधन उस वक्त हुआ जब वे दिनांक 14 जनवरी, 1975 को जरूरतमंदों के बीच गर्म कपड़े एवं कम्बलों का वितरण करने हेतु सड़क मार्ग से कार से दरभंगा जा रहे थे। रास्ते में कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गयी। तब से लेकर आज तक हर वर्ष 14 जनवरी को बैठक आयोजित कर चैम्बर के सदस्य उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें स्मरण करते हैं। वे हमारे लिए प्रेरणा स्रोत थे। उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके मार्ग दर्शन का हम अनुसरण करें।

अपनी श्रद्धांजलि में चैम्बर के पूर्व उपाध्यक्ष श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल ने भी स्व० चौधरी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्व० चौधरी में एक खासियत थी कि वे अपनी बात जोरदार ढंग से किसी के भी सामने रखते थे, चाहे सामने का व्यक्ति कोई भी हो।

स्व० चौधरी के पुत्र श्री आत्मा राम चौधरी ने अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज आज मेरे पिताश्री की 42वीं पुण्यतिथि मना रहा है, यह उनके प्रति चैम्बर के सर्वोच्च सम्मान को प्रदर्शित करता है। उनके जीवन की प्रमुख बातों का संस्मरण करते हुए श्री आत्मा राम चौधरी ने कहा कि मेरे पिता श्री कहते थे कि कितना भी वृहत्त कार्य हो और बड़ी विघ्न-बाधाएं हों तो मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, आत्म विश्वास दृढ़ता के साथ बनाये रखना चाहिए। दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझनी चाहिए तथा यथा सम्भव पीड़ित व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। उनके बताए मार्ग पर हम भी चलें, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

इस अवसर पर चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री मोती लाल खेतान, उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, पूर्व उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश टिबड़ेवाल, पूर्व महामंत्री श्री राजा बाबु गुप्ता, पूर्व महामंत्री श्री ए० के० पी० सिन्हा, पूर्व महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, श्री सच्चिदानन्द, श्री अनिल पचीसिया, श्री व्यासमुनि ओझा, श्री अमर चौधरी सहित कई सदस्य उपस्थित थे। दो मिनट का मौन रखने के पश्चात् श्रद्धांजलि सभा सम्पन्न हुई।

खाद्य पदार्थों में मिलावट पर उम्रकैद तक की सिफारिश

खाद्य पदार्थों में मिलावट को गंभीर मानते हुए विधि आयोग ने मिलावट के अपराध में कड़े दंड की सिफारिश की है। आयोग ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट में कहा कि अगर मिलावट के कारण व्यक्ति की मौत हो जाती है तो सात साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा होनी चाहिए। आयोग ने मिलावट से हुए नुकसान के आधार पर छह महीने से लेकर उम्रकैद तक की सजा और एक लाख से लेकर दस लाख तक के जुर्माने की सिफारिश की है। आयोग ने मिलावट के अपराध में सजा कड़ी करने के लिए भारतीय दंड संहिता में संशोधन की सिफारिश की है। विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस बीएस चौहान ने खाद्य पदार्थों में मिलावट पर कड़ी सजा के प्रावधान की सिफारिश वाली वाली 264 वी रिपोर्ट कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद को सौंपी। यह रिपोर्ट क्रिमिनल लॉ एमेंडमेंट बिल 2017 है जिसमें खाद्य पदार्थों में मिलावट पर सजा कड़ी करने की सिफारिश की गई है। गृह मंत्रालय ने पिछले वर्ष नवम्बर में आयोग से खाद्य पदार्थों में मिलावट संबंधी आइपीसी की धारा 272 व 273 में संशोधन पर विचार करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने मिलावटी दूध का मुद्दा उठाने वाली अच्युतानंद तीरथ की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से कहा था कि वह उत्तर प्रदेश व उड़ीसा राज्य की तरह आइपीसी की धारा 272 व 273 में उपयुक्त संशोधन करने पर विचार करें। इन दोनों राज्यों में खाद्य पदार्थ में मिलावट पर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है। आयोग ने माना है कि मिलावट के अपराध में सजा बहुत कम है। खाद्य पदार्थ में मिलावट मानव जीवन के लिए बड़ा खतरा है और इसके लिए कड़े दंड का प्रावधान होना चाहिए।

(साभार : दैनिक जागरण, 18.1.2017)

पाँच साल बाद भी हो सकेगा पासपोर्ट में सुधार

यदि आपने पासपोर्ट बना रखा हो और उसमें जन्म तिथि में किसी प्रकार की गलती रह गयी हो, तो सुधार कराना अब काफी आसान हो गया है। विदेश मंत्रालय ने यात्रा दस्तावेज जारी करने संबंधी सेवाओं को सरल बना दिया है। इसके साथ ही वर्तमान पासपोर्ट में जन्म तिथि को बदलने की प्रक्रिया को सरल कर दिया है। वर्तमान नियम में बदलाव करके सरकार ने डिजिटल रूप में हस्ताक्षर वाले विवाह और जन्म प्रमाण-पत्र को वैध सबूत के तौर पर अनुमति दे दी है। नये दिशा-निर्देशों में पासपोर्ट जारी करने वाले अधिकारियों (पीआइए) को हर उस आवेदक के अनुरोध पर विचार करने का अधिकार दिया गया है जो जन्म तिथि में परिवर्तन करवाना चाहता है।

(विस्तृत : प्रभात खबर 12.01.2017)

सूचना

चैम्बर बुलेटिन में ''जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ'' वाले स्तम्भ का प्रकाशन स्थगित किया जा रहा है।

– सम्पादक मंडल

EDITORIAL BOARD
EDITOR
SHASHI MOHAN
SECRETARY GENERAL

Convenor
Library & Bulletin Sub-Committee
RAMCHANDRA PRASAD

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org